प्रकाशन का 44 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 44 अंक – 25 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 17 – 24 जून 2019 मूल्य पांच रूपए

क्या नड्डा की ताजपेशी प्रदेश में फिर नये समीकरणों की आहट है

शिमला/शैल। जगत प्रकाश नड्डा अन्नत: भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बन गये हैं और वर्ष के अन्त में होने वाले कुछ विधानसभाओं के चुनावों के बाद वह पूर्णकालिक अध्यक्ष बन जायेंगे क्योंकि अमित शाह ने इन्हीं चुनावों तक यह जिम्मेदारी संभाले रखने की बात की है। नड्डा का नाम जब नये मन्त्रियों की सूची में नहीं आया था तभी यह चर्चा सामने आ गयी थी कि वह अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। वैसे नड्डा के अध्यक्ष बनने की चर्चा प्रदेश में बहुत अरसे से चलती आ रही है। नड्डा का अध्यक्ष बनना हिमाचल के लिये गौरव की बात है क्योंकि यहां से लोकसभा की चार ही सीटें होने से इसे छोटे प्रदेशों में गिना जाता है इस नाते भी यह बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अध्यक्ष का कार्यकाल एक नीयत समय तक ही होता है और भाजपा में इस पद पर दो टर्म से अधिक तक नहीं रह सकते हैं यह संगठन का नियम और प्रथा है। लेकिन नड्डा अभी युवा हैं तो दो टर्म के बाद ही उनके रिटायर हो जाने की बात नहीं होगी। ऐसे में विश्लेष्कों के सामने यह सवाल उठना स्वभाविक है कि अध्यक्ष की टर्म खत्म होने के बाद केन्द्र की राजनीति में ही रहना पसन्द करेंगे या प्रदेश में वापिस आयेंगे।

इस समय केन्द्र में हिमाचल से युवा सांसद अनुराग ठाकुर वित्त राज्य मन्त्री हैं और वित्त मन्त्रालय में एक ही राज्य मन्त्री है। राज्य मन्त्री के रूप में वित्त विभाग में ऐसे बहुत सारे काम होतें हैं जो उसी स्तर पर निपटा दिये जाते हैं। इस तरह वित्त राज्य मन्त्री के रूप में अनुराग का राजनीतिक कद भी बड़ा हो जाता है और इसी नाते यह भी प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा शक्ति केन्द्र हो जाते हैं। फिर वह नड्डा और जयराम के मुकाबले ज्यादा युवा हैं। क्रिकेट के माध्यम से जो काम उन्होंने प्रदेश में कर रखे हैं उससे उनकी अपनी एक अलग पहचान भी बन गयी है। प्रदेश के युवा वर्ग में उनका अपना एक अलग स्थान बन चुका है इसमें कोई दो राय नहीं है।

नड्डा और अनुराग के साथ ही प्रदेश का तीसरा बड़ा शक्ति केन्द्र मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर हैं। लेकिन जयराम मुख्यमन्त्री होने से शक्ति केन्द्र बने हैं। यदि वह मुख्यमन्त्री न होते तो स्वभाविक है कि वह शक्ति केन्द्र न हो पाते क्योंकि वह चुनाव में पार्टी के सी एम फेस नहीं थे। लेकिन आज एक वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूरा कर लेने और लोकसभा की चारों सीटों पर शानदार जीत हासिल करने के बाद अब वह स्थापित हो गये हैं। अब उनकी अगली राजनीतिक परीक्षा 2022 के लोकसभा चुनाव ही होंगे। 2022 तक उन्हें किसी भी तरह की

राजनीतिक अस्थिरता का कोई खतरा नहीं है बशर्ते कि राजनीति के यह दूसरे शक्ति केन्द्र उन्हें सहयोग करते रहें। क्योंकि धूमल के कार्यकाल में यह घट चुका है जब पार्टी के कुछ विधायकों ने ही विधानसभा सत्र बहिष्कार करने का रूख अपना लिया था। धूमल के ही कार्यकाल में यह भी घटा है जब अपनी ही सरकार के खिलाफ अपने ही मन्त्रियों/ विधायकों और अन्य नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी को ज्ञापन सौंप दिया था। यह कुछ ऐसे घटनाक्रम रहे हैं जिनसे यह पता चलता है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी घट सकता है। फिर विधानसभा के पिछले दो सत्रों में ही भाजपा के कुछ विधायक सरकार के प्रति जिस कदर आक्रामक हो चुके हैं उससे इसी सबकी पुष्टि होती है। क्योंकि जब सत्ता शक्ति के एक से अधिक केन्द्र बन जाते हैं तो स्थितियां नाजुक हो ही जाती हैं।

इस समय प्रदेश में मन्त्रीयों के दो पद खाली हैं जो कि भरे जाने हैं। इसी के साथ विधानसभा के दो उपचुनाव भी होने हैं। मुख्यमन्त्री ने पिछले दिनों यह संकेत दिये हैं कि वह इन मन्त्री पदों को उपचुनावों के बाद भरेंगे। जबकि पहले यह कहा था कि लोकसभा चुनावों की परफारमैन्स के आधार पर मन्त्री बनाये जायेंगे। बल्कि मन्त्रीयों के विभागों में फेरबदल तक करने के संकेत दे दिये थे। लेकिन आज सभी विधायकों की चुनावों में सफलता आशा से अधिक रही है। ऐसे में अब मन्त्रीयों का चयन बहुत आयान नही रह गया है। यह सही है कि सिद्धान्त रूप में मन्त्री बनाना मुख्यमन्त्री का ही एकाधिकार होता है लेकिन व्यवहारिकता में ऐसा नही हो पाता है। इसलिये यह तय है कि इस बार मन्त्री बनाने में नड्डा और अनुराग का भी दखल रहेगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि मन्त्री पद उपचुनावों के बाद भरे जाते हैं या अभी। इसी के साथ यह देखना भी रोचक होगा कि विधानसभा के उपचुनावों में भी जीत के आंकड़ों का अनुपात लोकसभा की जीत के बराबर रह पाता है या नही। क्योंकि जीत का अनुपात यह प्रमाणित करेगा कि लोगों ने प्रदेश सरकार के काम पर कितना समर्थन दिया है और मोदी को व्यक्तिगत तौर पर कितना।

यहां पर यह भी उल्लेखनीय रहेगा कि विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद भी विधायकों का एक बड़ा वर्ग धूमल को ही मुख्यमन्त्री देखना चाह रहा था और इसके लिये दो लोगों ने त्याग पत्र देकर सीट खाली करने की ऑफर भी दे दी थी। उसी समय यह भी सामने आया था कि नड्डा का नाम मुख्यमन्त्री के लिये फाईनल हो गया है। यह सामने आया था कि नड्डा का नाम मुख्यमन्त्री के लिये फाईनल हो गया है। यह सामने आते ही नड्डा के लोगों ने लड्डू बांटते हुए शिमला का रूख कर लिया था और फिर वह आधे रास्ते से वापिस हुए थे। उस समय नड्डा के पिछड़ जाने के बाद संगठन के चुनावों में भी बिलासपुर में नड्डा के समर्थकों को पूरी सफलता नही मिली थी। उस दौरान राकेश पठानिया जैसे विधायकों ने जिस हिम्मत और स्पष्टता के साथ नड्डा के साथ खड़े होने का साहस दिखाया था स्वभाविक है कि नड्डा उन्हें मन्त्री बनाने के लिये पूरा दम दिखायेंगे। इसी तरह नरेन्द्र बरागटा आज भी पहले धूमल के समर्थक माने जाते हैं बाद में जयराम के। फिर उनके मन्त्री के समकक्ष मुख्य सचेतक होने को उच्च नयायालय में चुनौती मिल चुकी है और इसमें नोटिस तक हो गये हैं। ऐसे में बरागटा को मंत्री पद दिलाने के लिये धूमल – अनुराग भी प्रयास करेंगे ही। विधानसभा अध्यक्ष डा. बिन्दल का नाम तो कई दिनों से चर्चा में है। इस परिदृश्य मे यह रोचक होगा कि मन्त्री पद मुख्यमन्त्री के अनुसार उपचुनावों के बाद भरे जाते हैं या पहले ही और उसमें किस को यह झण्डी मिलती है। इसी से प्रदेश की राजनीति में नये समीकरणों की की शुरूआत होगी यह तय है।

सीबीसी के राडार पर आये सक्सेना को वित्त का कार्यभार

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार के वरिष्ठ अधिकारी प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना पूर्व केन्द्रिय वित्त मन्त्री पी चिदम्बरम प्रकरण में इन दिनों सीबीसी के राडार पर चल रहे हैं। सीबीसी ने इनके खिलाफ मुकद्दमा चलाने के लिये वित्त मन्त्रालय के आर्थिक मामलों के प्रभाग को इस संद्धर्भ में अनुमति देने का आग्रह बीते 13 मई को भेजा है। स्मरणीय है कि सक्सेना 2 – 4 – 2008 से 31 – 7 – 2010 तक आर्थिक मंत्रालय में निदेशक थे। इसी अवधि में आई एन एक्स मीडिया प्रकरण घटा जिसमें इस मीडिया को 305 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जुटाने में दी गयी अनुमतियों में अनियमितताएं बरती जाने का आरोप है। इस प्रकरण में 15 – 5 – 2017 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। इसमें आई एन एक्स मीडिया, आईएन एक्स न्यूज, पीटर मुखर्जी, इन्द्राणी मुखर्जी और कार्ति चिदम्बरम के साथ वित्तमन्त्रालय के अधिकारियों को भी नामजद किया गया था। जब इस प्रकरण में जांच आगे बढ़ी तब इसमें मंत्रालय के चार अधिकारी सिन्धुश्री खुल्लर, अनुप के पुजारी, प्रबोध सक्सेना और रविन्द्र प्रसाद को दोषी पाया गया है। सीबीसी ने आर्थिक मन्त्रालय को इनके खिलाफ मुकद्दमा चलाने की अनुमति देने को कहा है।

सीबीसी जब किसी अधिकारी की सीबीआई जांच के आधार पर उस अधिकारी के खिलाफ मुकद्दमा चलाये जाने के पर्याप्त कारण मान लेता है तब संबद्ध मन्त्रालय को उस प्रकरण में मुकद्दमा चलाने की अनुमति देने का आग्रह भेजता है। इस आग्रह पर संबद्ध मन्त्रालय अपने तौर पर इसकी संतुष्टि करता है और यदि किसी कारण से मन्त्रालय और सीबीसी की राय में अन्तर आ जाये तब उस स्थिति में मामला कार्मिक विभाग को राय के लिये भेजा जाता है। आई एन एक्स प्रकरण आर्थिक मन्त्रालय से जुड़ा है। विदेशी निवेश की अनुमति देने वाला एफआई पी बी भी इसी मन्त्रालय का हिस्सा है। जिन अधिकारियों को इसमें दोषी माना गया है वह उस दौरान वहीं तैनात थे। ऐसे में इस प्रकरण में मुकद्दमा चलाने की अनुमति देना या न देना भारत सरकार के आर्थिक मन्त्रालय और कार्मिक मन्त्रालय के बीच का ही मामला है। अनुमति देने न देने का निर्णय भी सीबीसी से ऐसा आग्रह आने के तीन माह के भीतर करना होता है।

चिदम्बरम प्रकरण इस समय मोदी सरकार के लिये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है क्योंकि यदि यह मामला सफल हो जाता है तो यह तब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रमाणिक तौर पर भ्रष्टता का प्रमाण पत्र बांट पायेगी। इस 305 करोड़ के विदेशी निवेश जुटाने के मामले में कार्ति चिदम्बरम को दस लाख दिये जाने का आरोप है लेकिन इस आरोप को प्रमाणित करने में इससे जुड़े अधिकारियों को दोषी प्रमाणित करना अनिवार्य हो जाता है। इसी कारण से इसमें इन अधिकारियों को नामजद करके इन्हें दोषी माना गया है। ऐसे में यदि एक भी अधिकारी के

शेष पृष्ठ 8 पर.....

शिमला के रिज पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह आयोजित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग द्वारा शिमला के ऐतिहासिक रिज पर अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने शहर के नागरिकों के साथ भाग लिया।

अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए

मुख्यमंत्री ने कहा कि योग आध्यात्मिक, आत्मिक और शारीरिक अभ्यास है, जो सदियों से हमारे जीवन का हिस्सा रहा है तथा लोगों ने इससे प्राप्त होने वाले अनेक स्वास्थ्य लाभों के बारे में जाना है। उन्होंने कहा कि योग न केवल व्यक्ति को ऊर्जावान बनाता है, बल्कि इसका अभ्यास मन–मस्तिष्क एवं शरीर दोनों को स्वस्थ रखता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को विश्वभर में मनाया जाने लगा है। अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर वर्ष 2015 में मनाया गया। यह आह्वान उन्होंने 27 सितम्बर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने अभिभाषण के दौरान किया था। उन्होंने कहा कि आज 170 से अधिक देश अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं तथा लाखों लोग योग से लाभान्वित हुए हैं।

इस अवसर पर ढली स्कूल के विशेष छात्रों ने भी योग आसन किए। गुरू मॉ ने भी इस भव्य आयोजन में भाग लिया। एसजेवीएनएल ने भी इस कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग दिया।

इस अवसर पर जिला कुल्लू के बंजार में बस दुर्घटना में मृतकों की याद में दो मिनट का मौन रखा गया।

नगर निगम शिमला की महापौर कुसुम सदरेट, हिमफैड के अध्यक्ष गणेश दत्त, मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी, भाषा एवं कला विभाग की सचिव डॉ. पूर्णिमा चौहान, वरिष्ठ अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी, स्कूल के विद्यार्थियों तथा आम जनता ने योग दिवस में भाग लिया।

"NOTICE INVITING TENDER"

Sealed item rate tender for the following works are hereby invited by the **Executive Engineer, B&R Division HP.PWD., Joginder Nagar District Mandi (H.P)** from the eligible contractors of the appropriate class registered in HP.PWD. as per revised enlistment rules so as to reach in the office of under signed on **16/07/2019 up to 11:00 A.M.** and will be opened on the same day at **11:30 A.M.** in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The tender form can be held from this office against cash payment on **15/07/2019 upto 12:00 Noon.** The earnest money as shown against each in the shape of National Saving certificate/time deposit accounts of any post office in Himachal Pradesh duly pledged in the name of the under signed must accompany with each tender. The tender form will be issued to contractor giving proof or sale tax clearance certificate, work done certificate proof of machinery etc. Conditional tender and tender received without earnest money will be out rightly rejected. The offer of the tender shall be kept open for **90 days.**
The draft NIT and other specifications and conditions of the tender can be seen by the contractors in the office of the under signed on any working day during the office hours.

Sr..No. Name of Work	Amount put to tender Est. cost	Earnest Money	Cost of Tender Form	Eligible Class of Contractor	Time
1. A/R & M/O Ahju Basahi road Km.0/0 to 19/200 (Sub Head: - Construction of steel rain shelter at RD 0/020)	1,07,727/-	2,200/-	350/-	Class C&D	Three months
2. A/R & M/O Ahju Basahi road Km.0/0 to 19/200 (Sub Head :- Construction of steel rain shelter at RD 3/200)	1,07,727/-	2,200/-	350/-	Class C&D	Three months
3. A/R & M/O Ahju Basahi road Km.0/0 to 19/200 (Sub Head :- Construction of steel rain shelter at RD 4/675)	1,07,727/-	2,200/-	350/-	Class C&D	Three months
4. Construction of road Basahi to Khadihar Km. 0/0 to 5/00(under Mukhya Mantri Gram Sadak Yojna) Formation cutting between km.0/0 to 0/405)	3,44,301/-	7,000/-	350/-	Class C&D	One month
5. A/R & M/O Joginder Nagar Sarkaghat Ghumarwin road Km.0/0 to 7/200 (Sub Head :- Construction of steel rain shelter at RD 3/105)	1,07,727/-	2,200/-	350/-	Class C&D	Three months
6. R/R damages on Joginder Nagar Sarkaghat Ghumarwin road Km.21/500 to 34/300 (SH:-Construction of retaining wall along with pusta at RD 26/680 to 26/695)	2,67,094/-	5,300/-	350/-	Class C&D	Three months

Terms and conditions:-
1. The contractor should produce a copy of enlistment / renewal letter at time of application.
2. The contractor should be registered as a dealer under HPST Act 1968 (GST number) from the Excise and Taxation Department.
3. The Contractor/Firms must have constructed / stipulated similar type of work and he/they should produce a certificate from the Executive Engineer, concerned, earnest money alongwith application. The earnest money shall only be accepted in the prescribed mode.
4. No tender form will be issued to the contractor without producing the work done certificate from the Executive Engineer concerned.
5. The tender documents shall be issued to only those contractor/ firm :- a) who have successfully executed at list three works of similar class during the three proceeding years. The cost of each work shall not be less than ¼ of the amount put to tender or equal amount of one similar work.
6. The contractor/firms are requested to insert the rate of each item in words as well as in figures failing which XEN reserves the right to accept/reject any tender without assigning any reason at any stage.
7. The Contractor should have not more than two works in hand.

Adv. No.-0535/19-20 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

पर्यावरण की सुरक्षा सबका दायित्वः राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नगर निगम शिमला द्वारा रिज स्थित पदमदेव परिसर में रिवॉली की ओर लगती पहाड़ी में आयोजित स्वच्छता अभियान में भाग लिया। उन्होंने स्वयं झाड़ू उठाकर सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। यह अभियान लगभग एक घंटे तक चला और राज्यपाल ने सभी को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया।

राज्यपाल ने कहा कि आज दुनिया में वैश्विक उष्मीकरण एक गंभीर चुनौती बन गया है और हमें बहुमूल्य पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए ताकि मानवीय जीवन को बचाया जा सके।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को उसके नैसर्गिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। ईश्वर के दिए इस बहुमूल्य खजाने को बचाने के लिए हम सबको मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हर वर्ष लाखों पर्यटक आते हैं। राज्य में पर्यटकों को और अधिक आकर्षिक करने के लिए हमारे शहरों और कस्बों को साफ–सुथरा रखा जाना चाहिए, जिसके लिए इस तरह के स्वच्छता अभियान कारगर सिद्ध हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनकर हम ना केवल पर्यावरण को बचा सकते हैं बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला द्वारा इस स्थान पर पार्क बनाने पर विचार किया जा सकता है और निगम इस जमीन को शिमला प्रेस क्लब को देने पर विचार करे। उन्होंने कहा कि निगम ने जानकारी दी है कि शहर में जहां पर भी निगम की जमीन है उसे गैर सरकारी संगठनों को रख–रखाव के लिए देने पर विचार चल रहा है और वर्ष बाद इसका आकलन किया जाएगा। जिस गैर सरकारी संगठन ने सबसे बेहतर कार्य किया होगा उसे सम्मानित किया जाएगा।

2022 तक रसायनिक खेती से मुक्त होगा हिमाचलःराज्यपाल

शिमला/शैल। प्रदेश में चालू वर्ष के दौरान 50 हजार किसानों को सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा, जिसमें सिरमौर जिला के 2500 किसान शामिल होंगे। यह जानकारी राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजगढ़ के दूरदराज गांव बथाऊधार में कृषि विभाग के सौजन्य से सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती पर आधारित एक दिवसीय शिविर के दौरान उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए दी।

उन्होने कहा कि प्रदेश के किसानों का रूझान सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के प्रति काफी बढ़ रहा है और मार्च 2019 तक प्रदेश में 2669 किसानों द्वारा 252 हेक्टेयर भूमि पर सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती की जा रही है, जोकि प्रसन्नता का विषय है। उन्होने कहा कि गत वर्ष के दौरान सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि के तहत 20 किसानों का लक्ष्य के मुकाबले 206 किसानों को लाया गया, जिनके द्वारा 552 बीघा भूमि पर प्राकृतिक खेती की जा रही है।

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के किसानों को सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि के बारे जानकारी देने के दृष्टिगत आगामी 28 जून से 3 जुलाई तक डॉ. वाई.एस.परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में छः दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पद्मश्री सुभाष पालेकर स्वयं पधारकर किसानों एवं बागवानों को प्राकृतिक खेती बारे जानकारी देगें।

उन्होने बताया कि इस शिविर के लिए एक हजार से अधिक किसानों द्वारा अपना पंजीकरण करवा दिया गया है। उन्हांने कहा कि इस प्रकार का शिविर गत माह के दौरान कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में भी आयोजित किया गया था, जिसमे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए एक हजार किसानों ने छः दिवसीय शिविर में भाग लिया गया था।

उन्होने कहा कि प्राकृतिक खेती में देसी गाय का विशेष योगदान है और प्रदेश सरकार द्वारा देसी गाय के खरीदने पर 25 हजार रुपये का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। उन्होने कहा कि एक देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से 30 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती की जा सकती है। उन्होने कहा कि सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि को राज्य में बड़े पैमाने पर विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होने कहा कि रसायनिक खेती करने से विशेषकर खाद्यान्न विषाक्त हो गए है और भूमि का उर्वरकता क्षमता भी काफी कम हो रही है तथा रसायनिक खादों से उत्पन्न खाद्यान्न के इस्तेमाल से मनुष्य में अनेक बीमारियां उत्पन्न होने लगी है, जोकि चिंता का विषय है। उन्होने कहा कि वर्ष 2022 तक हिमाचल प्रदेश को रसायनिक खेती से मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है ताकि मनुष्य शुद्ध एंव विषाक्त रहित खाद्यान्न का सेवन कर सके और भूमि की उर्वरकता को पुनः प्राप्त किया जा सके।

राज्यपाल ने कहा कि बथाऊधार क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण है और इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होने कहा कि इस क्षेत्र को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए उच्चाधिकारियों के साथ एक बैठक की जाएगी और पर्यटन के लिए आधारभूत ढांचा सृजित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। उन्होने कहा कि फागू बथाऊधार सड़क को पक्का करने के लिए प्रदेश सरकार के साथ मामला उठाया जाएगा, जिसके लिए उपायुक्त सिरमौर को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होने कहा कि बथाऊधार स्थित वन विभाग की निरीक्षण कुटीर का पुनरूद्धार करने के लिए भी प्रयास किए जाएगें ताकि इस क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को ठहरने की उचित व्यवस्था हो सके ।

इस अवसर पर प्रदेश भाजपा महामंत्री एवं हिप्र राज्य सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष चंद्रमोहन ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा किए जा रहे प्रयास बहुत सराहनीय है और निकट भविष्य में हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा और देश के अन्य राज्यों के लिए हिमाचल प्रदेश रोल म डल सिद्ध होगा। उन्होंने बथाऊधार को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए राज्यपाल से मांग करके मामला प्रदेश सरकार के साथ उठाने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री हिमसेवा 1100 जल्द होगी शुरूःमुख्य सचिव

शिमला/शैल। मुख्य सचिव बी. के. अग्रवाल की अध्यक्षता में 'मुख्यमंत्री हिम–सेवा 1100' पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश द्वारा आरम्भ की गई और हेल्पलाइन सेवाओं की कार्यप्रणाली पर प्रस्तुति दी गई।

मुख्य सचिव ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री हिम–सेवा के माध्यम से जनता की शिकायतों एवं समस्याओं का समाधान घर पर ही सुनिश्चित होगा तथा इस सेवा को हिमाचल में शीघ्र आरम्भ किया जाएगा।

निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी रोहन चंद ठाकुर ने इस आयोजन का संचालन किया। उन्हांने मुख्यमंत्री हिम–सेवा के

सम्बन्ध में जानकारी देते हुए कहा कि यह सेवा जनता से प्रशासन की ओर अर्थात् 'बॉटम–टॉप' सोच पर आधारित होगी, जिससे प्रदेश सरकार को पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा। उन्होंने जानकारी दी कि यह हेल्पलाइन सेवा प्रातः 7 से 10 बजे तक कार्य करेगी तथा इसके माध्यम से नागरिकों को एक ही स्थान पर अपनी समस्याएं, शिकायतें, सुझाव एवं जानकारी उपलब्ध होगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस हेल्पलाइन का कॉल सेंटर टूटीकंडी शिमला की नगर निगम पार्किंग परिसर में स्थापित किया गया है, जिसमें 60 कॉल सेंटर आप्रेटरज को रोजगार दिया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कार्यालय में तीन अन्य ऑपरेटर कार्यालय में दर्ज आवेदनों की औपचारिक सुनवाई करेंगे। कार्यशाला में मध्य प्रदेश 'मुख्यमंत्री हेल्पलाइन' के निदेशक भूपेन्द्र परास्ते ने हेल्पलाइन सेवा के सम्बन्ध में पावर प्वाइंट के माध्यम से प्रस्तुति दी। इस कार्यशाला के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के जवाब भी दिए।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक – जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार – ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

न्यायमूर्ति वी.रामसुब्रमणियन बने हिमाचल के मुख्य न्यायधीश

शिमला/शैल। न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमणियन ने हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश की शपथ ली। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजभवन में उन्हें एक सादे एवं

गरिमामय शपथ समारोह में शपथ दिलवाई। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित इस शपथ समारोह का मुख्य सचिव बी.के अग्रवाल ने संचालन किया तथा भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी वारंट ऑफ अपॉइन्ट्मेंट पत्र को पढ़ा।

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, उत्तराखंड के मुख्य न्यायधीश रमेश रंगानाथन, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायधीश, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायधीश, महाधिवक्ता अशोक शर्मा, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डी.वी.एस राणा, पुलिस महानिदेशक एस.आर मरडी, नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट, विभिन्न निगमों व बोर्डो के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमणियन बी. एस.सी, बी.एल, आईसीडब्ल्यूएआई (इंटर) का जन्म 30 जून, 1958 में हुआ। 16 फरवरी, 1983 को अधिवक्ता के रूप में एनरॉल हुए और उन्होंने लगभग 23 वर्षो तक मद्रास के उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस की, शहर एवं लघु मामलों, राज्य उपभोक्ता आयोग एवं जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, चेन्नई इन सर्विस, नागरिक एवं संवैधानिक मामलों तथा सेवा संबंधी मामलों के विशेषज्ञ। 31 जुलाई, 2006 को उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायधीश नियुक्त किया गया एवं 9 नवम्बर, 2009 को उन्हें स्थाई न्यायधीश नियुक्त किया गया। 27 अप्रैल, 2016 को उन्हें तेलंगाना तथा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किया गया तथा 1 जनवरी, 2019 को तेलंगाना उच्च न्यायालय का न्यायधीश नियुक्त किया गया।

12 नए उद्योगों एवं विस्तार प्रस्तावों को मिली स्वीकृति

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। प्राधिकरण ने लगभग 227.79 के प्रस्तावित निवेश एवं लगभग 1220 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने की क्षमता वाले औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना एवं मौजूदा ईकाइयों के विस्तार के लिए 12 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य सभी जगह मंदी होने के बावजूद निवेश आकर्षित कर रहा है।

प्राधिकरण ने मै. देवभूमि कोल्ड चैन प्राईवेट लिमिटेड यूनिट-2, ठियोग, शिमला को सेब प्यूरी और अन्य मिश्रित प्यूरी आदि उत्पादन के लिए, मै. स्टील किंग एन्टरप्राईज प्राईवेट लिमिटेड, खाली एलपीजी सिलैंडर निर्माण के लिए आईए-संसारपुर टैरिस, कांगड़ा, मै. ग्लोब प्रीसीजन एन्टरप्राईज प्राईवेट लिमिटेड, काउंदी, बद्दी, सोलन को ऑटो कंपोनेंट्स भाग, जिला कांगड़ा के इंदौरा तहसील के गाँव सूरजपुर मै. रैड मेटल कॉनकॉस्ट प्राईवेट लिमिटेड, तहसील इंदौरा को माईल्ड स्टील टीएमटी बार निर्माण के लिए, मै. जैन प्लास्टिक्स एण्ड पैकेजिंग, ग्राम पंचायत डाकघर बाथरी, तहसील हरौली, जिला ऊना को प्लास्टिक दाना, प्लास्टिक शीट/फिल्म, मै. प्राईम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बतैड़ तहसील बद्दी जिला सोलन को एम.एस बीलेट, टीएमटी बार एग्ल चैनल निर्माण के लिए तथा मै. मदन भार्गव इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड कांगड़ा को शॉटगन, पिस्तौल एवं रिवॉलवर निर्माण के नए प्रस्ताव स्वीकृत किए।

प्राधिकरण ने मै. दीपक इंटरनेशनल लिमिटेड, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज-3 संसारपुर टैरिस, कांगड़ा को लैड एसिड बैटरी निर्माण, मै. थियोन फॉर्मास्युटिकल लिमिटेड गाँव सैणी माजरा, तहसील नालागढ़ जिला सोलन हिमाचल प्रदेश को टेबलेट, कैपस्यूल, ड्राई सिरप, इनजैकटेबलस, ऑइटमैंटस, सैशेज के उत्पादन के लिए, मै. राजश्री फैबरिक्स, गाँव रामपुर जट्टा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर को स्पन बॉड नॉन वोवन फैबरिक, नॉन वोवन फैबरिक बैग आदि के उत्पादन के लिए, मै. एक्मै फॉरम्युलेशन घोघरवाल, नालागढ़ सोलन को कैपस्युल, टैबलेट उत्पादन और मै. लेगसी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड सूरज माजरा लबाणा, बद्दी जिला सोलन को माल्ट आधारित उत्पाद हॉरलिक्स, बूस्ट को स्वीकृति प्रदान की।

हिमकेयर योजना के तहत 2019 में मिला 19.84 करोड़ रूपये की निःशुल्क चिकित्सा का लाभ

शिमला/शैल। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने जानकारी दी है कि हिमकेयर के अन्तर्गत पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 जुलाई, 2019 तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण की अंतिम तिथि 20 जून निर्धारित की गई थी लेकिन आम जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए इसे 15 दिनों के लिए बढ़ाया गया है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हिमाचल हैल्थ केयर योजना- हिमकेयर को 1 जनवरी 2019 को आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य अस्पताल में भर्ती होने पर लाभार्थी को पांच लाख रूपये तक की निःशुल्क ईलाज सुविधा प्रदान करना है। योजना के अन्तगर्त अभी तक 5.16 लाख परिवारों ने पंजीकरण करवाया है और 20712 लाभार्थियों ने पंजीकृत अस्पतालों में 19. 84 करोड़ रूपये के निःशुल्क ईलाज की सुविधा का लाभ उठाया है।

मंत्री ने कहा कि हिमकेयर योजना के अन्तगर्त श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम की दरें तय की गई हैं। गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.), पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी वाले (जो आयुष्मान भारत में पंजीकृत नहीं हैं) और मनरेगा के अन्तर्गत जिन्होने पिछले वर्ष 50 दिन या उससे अधिक कार्य किया है, उनसे प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एकल नारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, 70 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिकाएं, आशा कार्यकर्ता, मिड-डे मील कार्यकर्ता, दिहाड़ीदार, अंशकालिक कार्यकर्ता एवं अनुबन्ध कर्मचारी (सरकारी, स्वायत्त संस्थानों, सोसाइटी, बोर्ड एवं निगम के कर्मचारी), आउटसोर्स कर्मचारी से केवल 365 रूपये और उपरोक्त के अतिरिक्त जो व्यक्ति नियमित सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत कर्मचारी नहीं हैं, वे केवल 1000 रूपये देकर योजना के अन्तगर्त कार्ड बनवा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि योजना के अन्तगर्त लोक मित्र केन्द्र/कॉमन सर्विस सैंटर नामांकन करने और निर्धारित दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए लाभार्थी से प्रीमियम के अतिरिक्त 50 रूपये का शुल्क लेगा। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सल हैल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के लाभार्थियों को हिमकेयर योजना में कार्ड परिवर्तित करने के लिए विभाग की वैबसाईट पर जाकर यूआरएन नम्बर डालना होगा। जिन लाभार्थियों के कार्डो की पॉलिसी अवधि समाप्त हो चुकी है या होने वाली है, उन्हें भी वैबसाइट पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाईल नम्बर और श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड करवाकर और निर्धारित प्रीमियम का भुगतान ऑनलाइन कर नवीनीकरण करवाना होगा।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमन्त्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना के अन्तगर्त पॉलिसी अवधि 28 फरवरी, 2019 को समाप्त हो चुकी है, इसलिए जिन परिवारों के पास इस योजना के कार्ड हैं, उन्हें विभाग की वैबसाईट पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाईल नम्बर और श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड करवा कर तथा निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर नवीनीकरण करवाना अनिवार्य है। नवीनीकरण नजदीकी लोक मित्र केन्द्र में जाकर भी करवाया जा सकता है जिसके लिए 50 रूपये शुल्क तय किया गया है।

विपिन सिंह परमार ने कहा कि योजना में सभी तरह की आम व गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है। लाभार्थी प्रदेश में आयुष्मान भारत के अन्तगर्त पंजीकृत अस्पतालों में जाकर ईलाज करवा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस योजना के कार्यान्वयन से लाभार्थियों के स्वास्थ्य सुविधाओं पर होने वाले खर्च में कमी आई है और प्रदेश सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में प्रदेश का पहला कदम है।

भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना जे.पी.नड्डा की बड़ी उपलब्धि:धूमल

शिमला/शैल। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने जेपी नड्डा को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई एवं शुभकामनाएं व्यक्त की है। प्रेस विज्ञप्ति में पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ीं पार्टी का अध्यक्ष बनना जेपी नड्डा के लिए व्यक्तिगत उपलब्धि और सम्मान की बात है। साथ साथ ही यह पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव एवं सम्मान की बात है। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि पहले केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सचिव बनने वाले वह पहले हिमाचली थे और अब पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनकर उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

प्रोफेसर धूमल ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन के काम के लंबे अनुभव एवं अपनी परिपक्वता के कारण जेपी नड्डा बहुत सफल रहेंगे और पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे एवं व्यक्तिगत जीवन में भी सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे।

महिला चिकित्सक पर हमले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी एसोसियेशन (एचपीएमओए) के प्रतिनिधिमण्डल ने डॉ. जीवानंद चौहान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से भेंट की।

उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थाची में तैनात महिला चिकित्सा अधिकारी पर हुए हमले पर चर्चा की और दोषियों को पकड़ने तथा कड़ी कार्रवाई का आग्रह किया।

प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री से जिला बिलासपुर के घुमारवीं के खण्ड चिकित्सा अधिकारी के निलम्बन को वापिस लेने का भी आग्रह किया। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध करवाने का आग्रह किया, जिससे वे भयमुक्त वातावरण में अपनी सेवाएं दे सकें। एसोसियेशन ने 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले अस्पतालों को पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाने की भी मांग की। प्रतिनिधिमण्डल ने मेडिपर्सन अधिनियम को शीघ्र जारी करने की मांग भी उठाई।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमण्डल को महिला चिकित्सक के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना की निष्पक्ष जांच करने और दोषी लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सीसीटीवी कैमरे और हूटर लगाने सम्बन्धी चिकित्सकों की मांग पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। प्रतिनिधिमण्डल ने इससे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार से भी भेंट की और अपनी मांगों के बारे में अवगत करवाया।

मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री से मिले आश्वासन के बाद एसोसियेशन ने अपनी हड़ताल वापिस लेने का फैसला किया।

ऐड-ऑन पाठ्यक्रम के तहत महाविद्यालयों मे 500 छात्र प्रशिक्षित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के अथक प्रयासों के फलस्वरूप हिमाचल के राजकीय महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष के छात्रों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) आधारित प्रशिक्षण के बाद कॉरपोरेट क्षेत्र में रोजगार मिलना शुरू हो गया है। इस प्रकार की प्लेसमेंट ड्राइव की मुहिम पहली बार कौशल विकास निगम की देखरेख में सफलता से आगे बढ़ रही है।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि प्रदेश में लगभग 132 छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के तहत नामी कंपनियों में नौकरी मिली है, जिसमें मुख्यतय: टेक महेंद्रा, टेली परफॉरमेंस, एक्सिस बैंक, महेंद्रा हॉलिडे, कबीरा टेक्नोलॉजी तथा मारुती सुजुकी शामिल है। इन छात्रों को 1.5 लाख से लेकर 3. 5 लाख रुपये प्रति वर्ष पैकेज के प्रस्ताव मिले हैं। ये छात्र आरकेएमवी शिमला, नादौन, अम्ब, घुमारवीं, नाहन महाविद्यालय से है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने छात्रों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए महाविद्यालयों में ऐड-ऑन पाठयक्रम आरम्भ किये है, जिसके तहत लगभग 500 छात्रों को प्रशिक्षण देकर तैयार किया जा चुका है। अभी तक 250 छात्रों ने नौकरी पाने के लिए अपना पंजीकरण किया है, जिसमें 132 छात्रों को नौकरी का प्रस्ताव मिला है।

कौशल विकास निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर के अनुसार प्रदेश सरकार ने पहली बार ऐसा कदम उठाया है। सरकार के इस पग से छात्रों को नामी कंपनियों में रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि लगभग 500 छात्रों को इस परियोजना के तहत प्रशिक्षण देने की योजना बनाई, जिसमें 132 छात्रों को नौकरी का प्रस्ताव मिला है।

हिमाचल सहित पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात व दिल्ली (एमसीआर) में भी छात्रों को नौकरियां प्रस्ताव मिल रहे हैं। निदेशक के अनुसार आगामी शैक्षणिक सत्र से अन्य जिलों के महाविद्यालयों में भी स्नातक ऐड-ऑन पाठयक्रम आरम्भ किये जाएंगे, जिससे हिमाचली बच्चों के भविष्य निर्माण में सफलता मिलेगी।

संतोष और धैर्य से जो सुख प्राप्त हो सकता है वह किसी और चीज से नहीं मिल सकता............चाणक्य

सम्पादकीय

एक देश एक चुनाव–कुछ सवाल

देश में लोकसभा से लेकर नीचे पंचायत स्तर तक जन प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया से होता है। यह व्यवस्था संविधान में की गयी है। इस व्यवस्था संचालन के लिये संसद और विधानसभाओं के चुनाव की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दी गयी है। यह चुनाव निष्पक्ष हों इसके लिये चुनाव आयोग को संवैधानिक स्वायतता दी गयी है। पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास है और अब राज्यों में भी इसके लिये स्वायत निर्वाचन आयोगों की व्यवस्था कर दी गयी है। केन्द्र से लेकर राज्यों तक इस निर्वाचन तन्त्र को स्वायतता प्रदान करने का अर्थ है कि हर स्तर पर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हों। जब स्वतन्त्रता के बाद 1952 में पहली बार चुनाव करवाये गये थे तब पूरे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। लेकिन 1967 में यह व्यवस्था बिगड़ी जब कुछ राज्यों में संबद्ध सरकारों का गठन हुआ। राज्यों में राजनीतिक समीकरण बिगड़ने शुरू हुए और मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े। लोकसभा में भी यह समीकरण बिगड़े और वहां भी मध्यावधि चुनाव करवाये गये।

आज स्थिति यह बन चुकी है कि देश में हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव हो जाते हैं। जब यह चुनाव अलग–अलग होते हैं तो स्वभाविक है कि इन पर धन और समय दोनों ही अत्याधि खर्च हो जाते हैं। इस पृष्ठभूमि में यदि पूरी चुनावी व्यवस्था का एक निष्पक्ष आकलन किया जाये तो यह आवश्यकता महसूस होती है कि यदि सारे चुनाव एक साथ करवा दिये जाये तो धन और समय दोनों में महत्वपूर्ण बचत की जा सकती है। इसलिये अब जब प्रधानमन्त्री ने **''एक देश एक चुनाव''** को लेकर सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया है तो सिद्धान्त रूप में इसका स्वागत है। अभी इस कार्यकाल के एक तरह से पहले ही दिन इस महत्वपूर्ण विषय को सार्वजनिक बहस के लिये प्रस्तुत करना एक सराहनीय कदम है। वैसे तो पिछले कार्यकाल में जब संसद का संयुक्त सत्र बुलाया गया था तब महामहिम राष्ट्रपति ने यह विषय को माननीयों के सामने रखा था। उस समय कुछ देर के लिये इस पर सार्वजनिक चर्चाएं भी हुई थी। लेकिन यह विषय कोई ज्यादा आगे नही बढ़ा क्योंकि उस समय प्रधानमन्त्री ने इसमें सीधे दखल नही दिया था। अब प्रधानमन्त्री ने स्वयं सर्वदलीय बैठक बुलाकर यह बहस उठायी है तो निश्चित है कि यह अपने अंजाम तक पहुंचेगा ही। इस बार जो बहुमत भाजपा और एनडीए को मिला है वह जनता के समर्थन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिये इस विषय पर सभी दलों की सहमति केवल एक राजनीतिक औपचारिकता से अधिक कुछ नही है। सीधा है कि यदि प्रधानमन्त्री इस पर गंभीर और ईमानदार हैं तो यह फैसला हो जायेगा और इसे अमलीशक्ल मिल जायेगी। क्योंकि इस आश्य का संसद में विधेयक लाया जायेगा जहां यह पारित हो जायेगा और राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन भी हासिल हो जायेगा।

प्रश्न केवल यह होगा कि इसे कब से लागू किया जायेगा। क्योंकि जब भी इसे लागू करने की बात आयेगी तब लोकसभा या राज्यों की विधानसभाओं को भंग करने की नौबत आयेगी ही। इसलिये यह स्पष्ट है कि **''एक देश एक चुनाव''** के लिये एक बार तो इन्हे भंग करना ही पड़ेगा इस समय लोकसभा से लेकर अधिकांश राज्यों में भाजपा की ही सरकारें हैं इसलिये यह फैसला एक तरह से भाजपा को ही लेना है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि नरेन्द्र मोदी ने यह बहस पहले ही दिन क्यों छेड़ दी। लोकसभा का अगला चुनाव अब 2024 में होगा तो क्या इस पर उस समय अमल किया जायेगा। क्या उस समय सारी विधानसभाओं को भंग किया जायेगा? यह एक बड़ा सवाल होगा। यदि 2024 से पहले यह किया जाता है तो क्या इस लोकसभा को भंग किया जायेगा। इसी के साथ इस पक्ष पर भी विचार करना होगा कि यदि किसी राज्य में किसी कारण से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो क्या यह शासन उस विधानसभा के शेष बचे पूरे कार्यकाल के लिये होगा या शेष बची अवधि के लिये ही चुनाव करवाये जायेंगे। लेकिन यह चुनाव करवाने से **''एक देश एक चुनाव''** का नियम भंग होगा और ऐसे में शेष बची पूरी अवधि के लिये राष्ट्रपति शासन ही एक मात्र विकल्प रह जाता है। इसलिये यह फैसला केवल प्रधनमन्त्री मोदी के अपने ऊपर निर्भर करेगा। यदि अब इस पर फैसला न लिया जा सका तो यह प्रधानमंत्री की अपनी छवि पर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह बन जायेगा।

यह सही है कि **''एक देश एक चुनाव''** लागू होने से धन और समय की बचत हो जायेगी। लेकिन क्या इस बचत से चुनावों की विश्वसनीयता पर इस समय लग रहे सवालों से छुटकारा मिल जायेगा। आज इन चुनावों को लेकर एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में मनोहर लाल की आ चुकी है। एक भानू प्रताप सिंह ने विस्तृत ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को सौंप रखा है। इसी के साथ बीस लाख ईवीएम गायब होने को मुबंई और ग्वालियर उच्च न्यायालयों में याचिकायें लंबित है। इन पर अन्ततः फैसले तो आयेंगे ही और यह फैसले चुनाव आयोग से लेकर स्वयं उच्च न्यायपालिका की अपनी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल होंगे। प्रधानमंत्री द्वारा छेड़ी गयी यह बहस यदि इन उठते सवालों से ध्यान हटाने का ही प्रयास होकर रह गयी तो इसके परिणाम घातक होंगे।

महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्वयं सहायता समूह हुए कारगर सिद्ध

कांगड़ा जिला में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्वयं सहायता समूह बहुत कारगर सिद्ध हो रहे हैं। कांगड़ा जिला में महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के गठन से आत्मनिर्भर हुई हैं। उन्हें इस ओर प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बहुत सहयोगी सिद्ध हो रहा है। मिशन के तहत महिलाओं के समूहों को मशरूम उत्पादन जैसे कार्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं।

बैजनाथ विकास खंड की ग्राम पंचायत सुनपुर की 5 महिलाओं ने भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने की नई मिसाल कायम की है। इन महिलाओं ने साथ मिलकर वर्ष 2016–17 में सुनपुर में लक्ष्मी वैभव स्वयं सहायता समूह का गठन किया तथा केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लाभ लिया। यह सभी महिलाएं बीपीएल परिवार से सम्बन्ध रखती हैं। समूह की सदस्यों ने खंड विकास अधिकारी कार्यालय बैजनाथ के सौजन्य से खुम्ब उत्पादन का प्रशिक्षण लेकर अपना काम शुरू किया। कार्यक्रम के तहत् समूह को डीआरडीए की ओर आरंभ में 15 हजार रूपये सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई।

लक्ष्मी वैभव महिला स्वयं सहायता समूह की प्रधान विन्ता देवी बताती है कि स्वयं सहायता समूह में जुड़ने से पहले सभी महिलाएं घर का ही कार्य करती थीं तथा उनके पास आजीविका कमाने का कोई साधन नहीं था। वे सभी घरेलू स्तर पर आर्थिक समस्याओं से जूझ रहीं थी, लेकिन समूह से जुड़ने के बाद इन सभी महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। मशरूम बाजार में अच्छे भाव से बिक जाता है तथा गांवों में शादियों तथा अन्य समारोहों में भी खूब मांग रहती है। मशरूम के उत्पादन से उन्हें अच्छी खासी आमदनी प्राप्त हो रही हैं। इससे समूह से जुड़ी हर सदस्य को सीजन में लगभग 50 हजार रुपये कि कमाई हो जाती है।

समूह की अन्य महिलाएं परवीन कुमारी, सुजाता, सपना और रीना देवी बताती हैं कि समूह के गठन से वे अब आत्मनिर्भर हो गई हैं तथा समाज में उनकी एक विशेष पहचान है तथा अपनी कमाई से वे अपना तथा अपने परिवार की सही ढ़ग से देखभाल कर पा रही हैं। उनका कहना है कि स्वयं सहायता समूह का गठन उनके लिए वरदान साबित हुआ है। सभी तरफ से मिल रहे प्रोत्साहन से हौंसला बढ़ा है और अब वे सभी अपने काम को और बढ़ाने का सोच रही हैं।

विन्ता देवी बताती है कि खंड विकास कार्यालय बैजनाथ की सहायता से उन्हें कांगड़ा सहकारी बैंक से 3 लाख रुपए का लोन मिल गया। जिससे उन्हें मशरूम का कार्य करने में और अधिक सहायता मिल गई। शुरू–शुरू में उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा लेकिन वे हिम्मत के साथ कार्य करती रहीं। अब समूह की सदस्यों ने अपनी कमाई से अब तक 57 हजार रुपये का लोन भी वापिस कर दिया है। अब अच्छी कमाई होने से अपने परिवार का हाथ बंटा रही है तथा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा रही हैं। अब यह महिलाएं दूसरों पर निर्भर नहीं हैं तथा सभी महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए सरकार की आभारी हैं।

डीआरडीए कांगड़ा के परियोजना अधिकारी मुनीष शर्मा बताते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना, वित्तिय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना है।

जिलाधीश कांगड़ा राकेश प्रजापति का कहना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। यह योजना ग्रामीण गरीबों के स्वरोजगार और संगठन को बढ़ावा देने पर केन्द्रित है। इस कार्यक्रम के पीछे मूल विचार गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना और अच्छे स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। उनका कहना है कि महिलाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर बल दिया जा रहा है, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। इस प्रकार के प्रशिक्षणों से महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर स्वावलंबन की राह में आगे बढ़ी हैं। जिला प्रशासन महिलाओं को स्वरोजगार आरम्भ करने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

.....तो सूरज गर्मी नहीं पैसा बरसाएगा

गर्मी के इस मौसम में जब सूरज जानी दुश्मन सरीखा लगता है, ऐसे में कोई गर आपको 'सूरज चाचू' से दोस्ती गांठ कर मुनाफा कमाने का आइडिया दे तो इसे 'ऐंवें' ही मत ली जियेगा। दरअसल सूरज के ताप से मुनाफा कमाने के इस आइडिया को अपने घर की छत पर सोलर पावर प्लांट लगाकर सच किया जा सकता है।

आप घर की छत पर 1 से 10 किलोवाट तक के सोलर पावर प्लांट लगाकर बिजली तैयार कर सकते हैं। इस तरह तैयार बिजली को घर में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो घरों में इस्तेमाल से बच जाएगी, यानी आपकी अतिरिक्त उत्पादित बिजली को राज्य बिजली बोर्ड खरीदेगा। इसकी एवज में राज्य नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर आपको अच्छे–खासे पैसों का भुगतान भी किया जाएगा।

हिमऊर्जा मंडी के परियोजना अधिकारी रमेश ठाकुर बताते हैं कि सोलर संयंत्र लगाने के लिए कुल लागत 53,150 रुपए प्रति किलोवाट है। लोगों को घरों की छतों पर सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए केंद्र सरकार 70 प्रतिशत और राज्य सरकार 4,000 रुपए प्रति किलोवाट सब्सिडी दे रही है। मंडी जिला में अब तक 159 उपभोक्ताओं के सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं, जिसके तहत एक मैगावाट तक के सयंत्र स्थापित किए गए हैं ।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हिमऊर्जा को दिसम्बर, 2019 तक

घरेलू उपयोग के लिए 8 मेगावाट क्षमता पूरा करने का लक्ष्य दिया है। हिमऊर्जा अब तक 3858 किलोवाट क्षमता के ग्रिड से जुड़े सोलर पावर प्लांट लगा चुका है।

सोलर पावर प्लांट लगवाने के लिए इच्छुक लोग हिमऊर्जा के जिला परियोजना अधिकारी को अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा हिमऊर्जा की वेबसाईट www.himurja.gov.in पर भी आवेदन किया जा सकता है। हिमऊर्जा की बैबसाईट पर इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध है। इसके अलावा हिमऊर्जा शिमला कार्यालय के दूरभाष नंबर 0177–2621430, 2628069 पर फोन करके भी सोलर पावर प्लांट लगाने को लेकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

इस पर उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर का कहना है कि घर की छत पर ग्रिड से जुड़े सोलर पावर प्लांट लागने के लिए लोगों को जागरूक व प्रेरित करने को गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों को भी कहा गया है कि वे अपने कार्यालयों की छतों पर सोलर प्लांट लगाकर खुद उदाहरण प्रस्तुत करें ताकि लोग उन्हें देख कर इसके लिए आगे आएं।

[illegible] वैद्य सहायक लोक संपर्क अधिकारी पधर, जिला मंडी।

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस

योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार

– भारती शर्मा –

योग भारत और नेपाल में एक आध्यात्मिक प्रकिया को कहते हैं योग का शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है।

'योग' शब्द 'युज समाधौ' आत्मनेपदी दिवादिगणीय धातु में 'घं' प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है। इस प्रकार 'योग' शब्द का अर्थ हुआ– समाधि अर्थात् चित्त वृत्तियों का निरोध। वैसे 'योग' शब्द 'युजिर योग' तथा 'युज संयमने' धातु से भी निष्पन्न होता है किन्तु तब इस स्थिति में योग शब्द का अर्थ क्रमशः योगफल, जोड़ तथा नियमन होगा। आत्मा और परमात्मा के विषय में भी योग कहा गया है।

गीता में श्रीकृष्ण ने एक स्थल पर कहा है **''योगः कर्मसु कौशलम्''** (योग से कर्मो में कुशलता आती है)। स्पष्ट है कि यह वाक्य योग की परिभाषा नहीं है। कुछ विद्वानों का मत है कि जीवात्मा और परमात्मा के मिल जाने को योग कहते हैं। इस बात को स्वीकार करने में यह बड़ी आपत्ति खड़ी होती है कि बौद्धमतावलंबी भी, जो परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते वह भी योग शब्द का व्यवहार करते और योग का समर्थन करते हैं। यही बात सांख्यवादियों के लिए भी कही जा सकती है जो ईश्वर की सत्ता को असिद्ध मानते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लम्बा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 27 सितम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी जिसमें उन्होंने कहा: 'योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है (मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है) विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन–शैली में यह चेतना बनकर, हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है।''

11 दिसम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है।

योग के माध्यम से न केवल शरीर के अंगों बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा में संतुलन बनाया जाता है। यही कारण है कि योग से शारीरिक व्याधियों के अलावा मानसिक समस्याओं से भी निजात पाई जा सकती है।

योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृति के युज से हुई है, जिसका मतलब होता है आत्मा का सार्वभौमिक चेतना से मिलन। योग लगभग दस हजार साल से भी अधिक समय से अपनाया जा रहा है। वैदिक संहिताओं के अनुसार तपस्वियों के बारे में प्राचीन काल से ही वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी योग और समाधि को प्रदर्शित करती मूर्तियां प्राप्त हुईं।

हिन्दू धर्म में साधु, सन्यासियों व योगियों द्वारा योग सभ्यता को शुरु से ही अपनाया गया था, परंतु आम लोगों में इस विधा का विस्तार हुए अभी ज्यादा समय नहीं बीता है। बावजुद इसके, योग की महिमा और महत्व को जानकर इसे स्वस्थ्य जीवनशैली हेतु बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है, जिसका प्रमुख कारण है व्यस्त, तनावपूर्ण और अस्वस्थ दिनचर्या में इसके सकारात्मक प्रभाव।

योग की प्रमाणिक पुस्तकों जैसे शिवसंहिता तथा गोरक्षशतक में योग के चार प्रकारों का वर्णन मिलता है

1. **मंत्रयोग,** 'मंत्र' का समान्य अर्थ है– 'मननात् त्रायते इति मंत्रः'। मन को त्राय (पार कराने वाला) मंत्र ही है। मंत्र योग का सम्बन्ध मन से है, मन को इस प्रकार परिभाषित किया है मनन इति मनः। जो मनन, चिन्तन करता है वही मन है। मन की चंचलता का निरोध मंत्र के द्वारा करना मंत्र योग है। मंत्र योग के बारे में योगतत्वोपनिषद में वर्णन इस प्रकार है–

योग सेवन्ते साधकाधमाः।

मंत्र से ध्वनि तरंगें पैदा होती है मंत्र शरीर और मन दोनों पर प्रभाव डालता है। जिसके अंतर्गत वाचिक, मानसिक, उपांशु और अणपा आते हैं।

2. हठयोग 'हठ' शब्द की रचना 'ह' और 'ठ' दो रहस्यमय एवं प्रतीकात्मक अक्षरों से हुई है। 'ह' का अर्थ 'सूर्य' और 'ठ' का अर्थ 'चंद्र' है। योग का अर्थ इन दोनों का संयोजन या एकीकरण है।

3. लययोग चित्त का अपने स्वरूप विलीन होना या चित्त की निरूद्ध अवस्था लययोग के अन्तर्गत आता है। साधक के चित्त् में जब चलते, बैठते, सोते और भोजन करते समय हर समय ब्रह्म का ध्यान रहे इसी को लययोग कहते हैं।

4. राजयोग सभी योगों का राजा कहलाया जाता है क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार के योग की कुछ न कुछ सामग्री अवश्य मिल जाती है। व्यापक रूप से पतंजलि औपचारिक योग दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं। पतंजलि के योग, बुद्धि नियंत्रण के लिए एक प्रणाली है, जिसे राजयोग के रूप में जाना जाता है। पतंजलि के अनुसार योग के 8 सूत्र बताए गए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं– पतंजलि का लेखन 'अष्टांग योग' (आठ–अंगित योग) एक प्रणाली के लिए आधार बन गया।

1 यम –इसके अंतर्गत सत्य बोलना, अहिंसा, लोभ न करना, विषयासक्ति न होना और स्वार्थी न होना शामिल है।

2 नियम – इसके अंतर्गत पवित्रता, संतुष्टि, तपस्या, अध्ययन, और ईश्वर को आत्मसमर्पण शामिल हैं।

3 आसन – इसमें बैठने का आसन महत्वपूर्ण है

4 प्राणायाम–सांस को लेना, छोड़ना और स्थगित रखना इसमें अहम है।

5 प्रत्याहार –बाहरी वस्तुओं से, भावना अंगों से प्रत्याहार।

6 धारणा – इसमें एकाग्रता अर्थ एक ही लक्ष्य पर ध्यान लगाना महत्वपूर्ण है।

7 ध्यान–ध्यान की वस्तु की प्रकृति का गहन चिंतन इसमें शामिल है।

8 समाधि–इसमें ध्यान की वस्तु को चैतन्य के साथ विलय करना शामिल है। इसके दो प्रकार हैं–सविकल्प और अविकल्प। अविकल्प में संसार में वापिस आने का कोई मार्ग नहीं होता। अतः यह योग पद्धति की चरम अवस्था है।

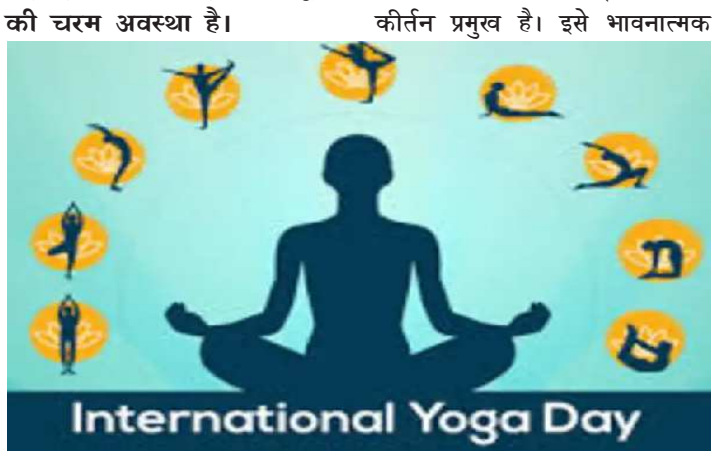

भगवद गीता में योग के जो तीन प्रमुख प्रकार बताए गए हैं वे हैं –

1 **कर्मयोग** –इसमें व्यक्ति अपने स्थिति के उचित और कर्तव्यों के अनुसार कर्मों का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करता है।

2 भक्ति योग– इसमें भगवत कीर्तन प्रमुख है। इसे भावनात्मक आचरण वाले लोगों को सुझाया जाता है।

3 ज्ञान योग– इसमें ज्ञान प्राप्त करना अर्थात ज्ञानार्जन करना शामिल है।

वर्तमान में योग को शारीरिक, मानसिक व आत्मिक स्वास्थ्य व शांति के लिए बड़े पैमाने पर अपनाया जाता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी और 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रथम बार विश्व योग दिवस के अवसर पर 192 देशों में योग का आयोजन किया गया जिसमें 47 मुस्लिम देश भी शामिल थे।

इस अवसर पर दिल्ली में एक साथ 35985 लोगों ने योग का प्रदर्शन किया, जिसमें 84 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे और भारत ने दो विश्व रिकॉर्ड बनाकर 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में अपना नाम दर्ज करा लिया। पहला रिकॉर्ड एक जगह पर सबसे अधिक लोगों के योग करने का बना, तो दूसरा एक साथ सबसे अधिक देशों के लोगों के योग करने का।

हिमाचल में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन बड़ी चुनौती

ठोस कचरा प्रबन्धन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के समक्ष विकास के पथ पर अग्रसर होते हुए एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश में आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लक्ष्य के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने सत्त विकास के साथ–साथ पर्यावरणीय पहलुओं को प्राथमिकता प्रदान की है। प्रदेश सरकार राज्य में प्रभावी ठोस कचरा प्रबन्धन तंत्र द्वारा ठोस कचरे की समस्या का निवारण करेगी।

ठोस कचरा प्रबन्धन को प्रभावी व कार्यशील बनाने के लिए ठोस कचरा प्रबन्धन के सभी पहलुओं को समझ कर इस समस्या का समाधान करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त नए ठोस कचरा प्रबन्धन नियम–2016 के अनुसार सभी नागरिकों को ठोस कचरा प्रबन्धन की सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए एक किफायती तंत्र बनाया जाएगा जो कचरा को एक पर्यावरण अनुकूल तरीके से एकत्रित करने तथा उसकी ढुलाई एवं निष्पादन में सहायता करेगा।

एक पसंदीदा पर्यटन गंतव्य होने के कारण प्रदेश में गर्मियों के दौरान भारी संख्या में पर्यटक आते हैं जिस कारण यहां कचरे की मात्रा में भारी वृद्धि दर्ज की जाती है। इसके अतिरिक्त पर्यटन गतिविधियों के कारण प्रदेश में कचरा प्रबन्धन से सम्बन्धित सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को 28 अक्तूबर, 2016 को बाह्य शौच मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके फलस्वरूप अब स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण द्धएसबीएम–जीत्र के तहत ओडीएफ दर्जे को कायम रखने तथा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) पर बल दिया जा रहा है। वर्तमान में सभी ग्राम पंचायतों में समन्वय आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन गतिविधियों को आरम्भ किया गया है। ग्राम पंचायतों को इस संबंध में निधि जारी की गई है, जिसमें 150 घरों वाली ग्राम पंचायत को 7 लाख रुपये, 300 घरों वाली ग्राम पंचायत को 12 लाख रुपये, 500 घरों वाली ग्राम पंचायत को 15 लाख रुपये तथा 500 से ज्यादा घरों वाली ग्राम पंचायत को 20 लाख रुपये दिए गए है।

प्रदेश में कुल 768 ग्राम पंचायतों में 103.68 करोड़ रुपये की राशि को उपयोग में लाया गया है। ग्राम पंचायतों ने एसबीएम–जी के तहत व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्तर पर सोक पिट, मैजिक पिट, लिच पिट तथा नालियों का निर्माण करने जैसी गतिविधियों पर बल दिया है। ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए सूचक अंकों/मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का प्रचार किया गया ताकि ग्राम पंचायतें कार्य योजना तैयार कर सके। ग्राम पंचायतों को इस संबंध में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के प्रचलित तंत्र पर चर्चा करने तथा कचरे के सम्भावित स्त्रोत को चिन्हित करने को कहा गया। ग्राम पंचायतों को उनके संबंधित क्षेत्रों में कचरे की किस्मों तथा मात्रा का पता लगाने को कहा गया।

इसके अतिरिक्त अनेक ग्राम पंचायतों को कचरे के वैज्ञानिक निष्पादन के लिए कचरे को स्त्रोत पर ही अलग करने तथा कचरा इक्टठा करने और निष्पादन स्थलों तक ढुलाई का तरीका ढूढने को कहा गया। मानक संचालन प्रक्रियाओं द्वारा कचरा प्रबन्धन की ओर संस्थागत ढांचा स्थापित करने पर बल दिया गया।

क्षेत्र से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के उपरांत क्लस्टर पद्धति को प्रभावी एवं किफायती, ठोस एवं तरल कचरे के निपटारे के लिए अपनाया गया। प्रत्येक जिले को इसके लिए 10 से 12 ग्राम पंचायतों वाले कम से कम एक क्लस्टर की पहचान करने के लिए आग्रह किया गया था। परिणामस्वरूप 109 ग्राम पंचायतों वाले 12 ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन क्लस्टरों की पहचान की गई।

ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन पर हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, फेयरलॉन शिमला में क्लस्टर ग्राम पंचायतों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके उपरांत पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं विभिन्न ग्राम पंचायतों के अधिकारियों के लिए ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन पर अच्छा कार्य कर रही ग्राम पंचायतों के भ्रमण का आयोजन किया गया जिसके द्वारा वह कचरा प्रबंधन की बारिकियों को बेहतर तरीके से समझ सकें।

सभी क्लस्टरों ने स्थानीय परिस्थितयों के अनुरूप अपनी ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन परियोजनाएं तैयार की और राज्य सरकार को अपने धनराशि संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए। विभिन्न क्लस्टरों को राशि आवंटित की गई जिसमें नारकंडा (शिमला) को 12,20,000 रुपये, गोहर (मंडी) को 30,00,000 रुपये, झंडुता (बिलासपुर) को 8,04,999 रुपये, अजौली (ऊना) 12,71,880 रुपये, खलेट भवरना (कांगड़ा) को 49,78,985 रुपये, सांगला (किन्नौर) को 50,00,000 रुपये, नौणी (सोलन) को 5 लाख रुपये, घूंड (शिमला) को 3,52,000 रुपये, घूघर (कांगड़ा) को 56,11,909 रुपये और बंगाणा (ऊना) को 48,48,000 रुपये की राशि दी गई।

ऊना की ग्राम पंचायत अजौली और सोलन की ग्राम पंचायत नौणी में ठोस कचना प्रबंधन संयंत्र पहले से क्रियाशील हैं तथा अन्य क्लस्टर में इन पर कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त कांगड़ा जिला के आईमा में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन संयंत्र पिछले दो वर्षों से कार्य कर रहा है तथा वहां सभी प्रकार के ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटारा किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में इसके लिए तीन आर्दश ग्राम पंचायतों की पहचान की गई है।

सभी विकास खण्ड़ों ने खण्ड स्तर पर ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन योजना तैयार की है। 2 अक्टूबर, 2019 तक कम से कम 500 ग्राम पंचायतों को **'जीरो वेस्ट ग्राम पंचायत'** बनाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक कार्यन्वयन योजना (एआईपी) के अंतर्गत 427.42 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ स्वीकृति दी गई है।

स्कूलों में इंन्सिनरेटर स्थापित करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 3 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए गए है। स्वयं सहायता समूहों द्वारा विकसित इंन्सिनरेटर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा इसे शीघ्र ही क्रियाशील बनाया जाएगा।

जलाशयों में संवेदनशील स्थलों पर ग्रिल, तारों, वायर मैश, बैरियरों के माध्यम से ठोस कचरे को जाने से रोकने के लिए राज्य के बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला और नाहन में वृत अनुसार वन विभाग द्वारा 1.82 करोड़ रुपये जारी किए गए है।

पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय 1 अप्रैल, 2019 से बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के अनुसार, अब जिला परिषद अध्यक्ष को 11 हजार रुपये के स्थान पर 12 हजार रुपये और उपाध्यक्ष को 7500 रुपये के स्थान पर 8000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। जिला परिषद के सदस्यों को अब 4500 रुपये के बजाय पांच हजार रुपये तथा पंचायत समिति अध्यक्ष को 6500 रुपये के स्थान पर 7000 रुपये, उपाध्यक्ष को 4500 रुपये के स्थान पर 5000 रुपये जबकि पंचायत समिति सदस्यों को 4000 रुपये के स्थान पर 4500 रुपये मिलेंगे।

ग्राम पंचायत प्रधानों का मानदेय चार हजार रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये, उप-प्रधानों का मानदेय 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये किया गया है तथा ग्राम पंचायत के सदस्यों को अब माह में आयोजित अधिकतम दो बैठकों के लिए 240 रुपये के स्थान पर 250 रुपये प्रति बैठक दिए जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल के पटवार वृत्तों में कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों के मानदेय को तीन हजार रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया है जिससे 1528 कर्मी लाभान्वित होंगे। अंशकालिक कर्मियों के रिक्त पड़े पदों को भरने का भी फैसला लिया गया है।

बैठक में राज्य में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को मिलाकर आरंभ की गई 'उज्ज्वला गृहिणी सुविधा योजना' के लाभार्थियों को एक अतिरिक्त निःशुल्क गैस सिलेंडर देने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस निर्णय से राज्य के दो लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे।

मंत्रिमंडल ने प्राथमिक सहायक अध्यापकों की वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर करने के लिए उन्हें समेकित 27 हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान करने का निर्णय लिया।

बैठक में 'अटल स्कूल वर्दी योजना' के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के लिए कक्षा एक, तीन, छः और नौ के विद्यार्थियों को स्कूल बैग वितरित करने के लिए खरीद एवं आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया है कि अटल वर्दी योजना के अंतर्गत मौजूदा सत्र के दौरान पहली से जमा दो कक्षा तक के विद्यार्थियों को भी वर्दी प्रदान की जाएगी।

मंत्रिमंडल ने संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा बी.पी.एल परिवारों की महिलाओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 1100 रुपये करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार द्वारा आशा कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त मानदेय को 1250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये का निर्णय लिया। इस निर्णय से राज्य की 7964 आशा कार्यकर्ता लाभान्वित होंगी।

मंत्रिमंडल ने मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) को जारी रखते हुए इसके अंतर्गत वर्ष 2019 में आम की सभी किस्मों की खरीद पर 50 पैसे प्रति किलो की वृद्धि करने का निर्णय लिया जिससे बागवानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके।

मंत्रिमंडल ने 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' के अंतर्गत निराश्रित लड़कियों/महिलाओं या उनके माता-पिता/अभिभावकों को उनकी विवाह के लिए दी जाने वाली विवाह अनुदान राशि को 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 51 हजार रुपये करने का निर्णय लिया। इस योजना के अंतर्गत नारी सेवा सदन/नारी निकेतन में रह रहीं महिलाओं को भी शामिल किया गया है।

बैठक में महिला विकास निगम द्वारा स्वरोजगार उद्यम आरंभ करने के लिए 1,50,000 रुपये तक की ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए पारिवारिक वार्षिक आय को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का निर्णय लिया है।

मंत्रिमंडल ने 'मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना' के अंतर्गत किशोर न्याय 'बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बाल देखभाल संस्थानों की मेरिट लिस्ट (छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग) में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले आठवीं, नौवीं, दसवीं, जमा एक, जमा दो की कक्षाओं के विद्यार्थियों को 10 हजार प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान करने का निर्णय लिया। इस योजना के अंतर्गत 10 छात्रों एवं 10 छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

बाल उत्पीड़न से ग्रस्त बच्चों में आत्म-विश्वास व स्वाभिमान वापिस लौटाने के अतिरिक्त उनके लिए वित्तीय सुरक्षा, कौशल उन्नयन, पुनर्वास और आजीविका समर्थन करने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने नाबालिग बलात्कार पीड़ितों एवं बाल शोषण के लिए पुनर्वास सहायता योजना आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के तहत नाबालिग बच्चों तथा उनके परिजनों को व्यावसायिक/अनुभवी परामर्शदताओं द्वारा छः महीने के लिए गहन परामर्श प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आजीविका समर्थन के रूप में 21 वर्ष तक की आयु तक नाबालिक पीड़ितों को 7500 रूपये मासिक वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।

बैठक में चम्बा जिला के नागरिक अस्पताल, भरमौर में मै. अपोलो अस्पताल के माध्यम से टेली-मेडिसिन सुविधा आरम्भ करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। इस निर्णय से क्षेत्र के लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकेंगी।

मंत्रिमंडल ने जिला मण्डी के सरकाघाट के अंतर्गत आने वाले भरडवाड में लोक निर्माण विभाग का नया उप-मण्डल खोलने सहित आवश्यक पदों के सृजन के निर्णय को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा के पपरोला स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रोफैसर के तीन पद तथा प्रवक्ता के तीन पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में मण्डी जिला के सरकाघाट स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर जिला के झण्डूता में सिविल जज न्यायालय स्थापित करने के अतिरिक्त इनमें विभिन्न श्रेणियों के 27 पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला में लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से नियमित आधार पर विभिन्न संकायों के सहायक प्रोफैसर के सात पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंत्रिमण्डल ने आयुर्वेद विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ सहायक के 11 पद भरने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुसूचित जाति उप-योजना शाखा में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से सांख्यिकी सहायक के 5 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग की नापतोल शाखा में अनुबंध आधार पर सहायक नियंत्रक के 5 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के नए स्तरोन्नत शहीद तिलकराज राजकीय उच्च विद्यालय धेवा में विभिन्न श्रेणियों के चार पद सृजित करने एवं भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।

नौ माह बाद दिल्ली-केलंग-लेह रूट पर HRTC की बस सेवा आरंभ

शिमला/शैल। देश के सबसे लंबे व अधिक ऊंचाई से गुजरने वाली दिल्ली-केलंग-लेह रूट पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सेवा आरंभ हो गयी है। करीब नौ माह बंद रहने के बाद केलंग बस अड्डे से निगम की लेह बस सेवा को एसडीएम केलंग अमर नेगी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं पहले दिन लेह की ओर जाने वाले सभी लंबे समय से इस बस सेवा का इंतजार कर रहे थे अब उन्हे सुविधा मिलेगी।

एसडीएम अमर नेगी ने बताया कि एचआरटीसी की इस सीजन की पहली बस सेवा लेह के लिए आरंभ हुई है। 1072 किलोमीटर लंबे इस सफर मे 36 घण्टे का समय लगता है इससे यात्रियों व पर्यटकों को सुविधा प्रदान होगी। निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक मंगल चंद मनेपा ने

यात्रियों को एचआरटीसी प्रबन्धन द्वारा सम्मान स्वरूप खतग पहनाकर स्वागत किया गया। 1072 किलोमीटर लंबे इस रूट पर बस सेवा चार दर्रो, रोहतांग दर्रा 13050 फीट, बारालचा दर्रा 16020 फीट, लाचुंग ला 16620 फीट, जबकि तंगलंग ला 17480 फीट ऊंचे दर्रे से होकर गुजरती है। दिल्ली से लेह तक का सफर मे 36 घंटे का समय लगता है और महज 1500 रुपये मे बर्फ से लकदक पहाड़ियो से गुजरने वाली इस बस सेवा का अलग ही रोमांच है, पर्यटक व स्थानीय लोग बताया कि करीब 9 माह बाद एचआरटीसी ने दिल्ली- लेह बस सेवा आरंभ कर दी है लगभग 1072 किलोमीटर के इस सफर मे तीन बार ड्राईवर बदलते हैं और 36 घंटो के सफर के बाद चार दर्रो रोहतांग दर्रा, बारालचा दर्रा, लाचुंग ला, तंगलंग ला से होकर निगम के कर्मचारी इस सेवा को अंजाम देते हैं। उन्होंने बताया कि इस रूट का किराया 1500 रुपये है और इस सेवा से देश के विभिन्न हिस्सों से लेह जाने वाले पर्यटकों को सुविधा मिलेगा।

रेडक्रॉस द्वारा राज्य में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों में कई गुणा वृद्धिःमुख्यमंत्री

शिमला/शैल। रेडक्रॉस के महत्व को कभी कम नहीं आंका जा सकता क्योंकि यह संस्था किसी धर्म, जाति तथा क्षेत्र से ऊपर उठकर दूसरों की सहायता करने में सदैव अग्रणी रही है। इसके अतिरिक्त यह संस्था लोगों को आपात स्थिति में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह बात शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित राज्य स्तरीय रेडक्रॉस मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रेडक्रॉस द्वारा राज्य में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों में कई गुणा वृद्धि हुई है, जिसका श्रेय रेडक्रॉस के प्रत्येक स्वयंसेवक को जाता है। उन्होंने कहा कि यह संस्था मानवता को आपात स्थिति में सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने स्वयंसेवकों से अपील की कि वह अधिक से अधिक लोगों को संस्था की गतिविधियों के साथ जोड़ें। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वह संस्था को उदारतापूर्वक दान दें क्योंकि उनके द्वारा दिया जाने वाला अंशदान आपात स्थिति में लोगों की सहायता में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने रेडक्रॉस गतिविधियों को उपमण्डल स्तर तक बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार रेडक्रॉस गतिविधियों को बढ़ाने के लिए हरसंभव सहायता प्रदान करेगी। राज्य में सरकार द्वारा पांच लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए 'हिम केयर' योजना आरम्भ की गई है, ताकि आयुष्मान भारत योजना से छूटे सभी लोगों को यह सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से बीमार रोगियों के परिजनों को राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक नई 'सहारा योजना' आरम्भ की गई है। इस योजना के तहत इन रोगियों की उचित देखभाल के लिए प्रति माह 2000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया और आयोजकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस अवसर पर शूटिंग में भी हाथ आजमाया।

अवैतनिक सचिव रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा पूनम चौहान ने रेडक्रॉस की विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी।

निःशुल्क कैंसर शिविर सोलन में

शिमला/शैल। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में 30 जून, 2019 को कैंसर शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी अस्पताल के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. संजीव गुप्ता ने दी।

डॉ. संजीव गुप्ता ने कहा कि 30 जून, 2019 को यह कैंसर शिविर क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में सांय 3.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस शिविर में देश के प्रख्यात कैंसर विशेषज्ञ डॉ. दिनेश पेंडारकर कैंसर के रोगियों को निःशुल्क परामर्श प्रदान करेंगे।

उन्होंने कहा कि शिविर का लाभ उठाने के लिए लोगों को पहले पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के लिए 29 जून, 2019 तक क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के ओपीडी कमरा नंबर 222 में पंजीकरण करवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उनके मोबाइल नंबर 94184-93936 पर संपर्क किया जा सकता है।

क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में कैंसर इकाई वर्ष 2017 से कार्यरत हैं और यहां पर इसी समय से कैंसर के रोगियों को कीमो थेरेपी भी दी जा रही है।

सड़क सुरक्षा ऑडिटर की स्वीकृति बिना नहीं बन पायेंगी राज्य में नई सड़कें

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में

निर्णय लिया गया कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़कों पर ब्लैक स्पॉट्स की पहचान एवं उनके सुधार के लिए एक विशेष अभियान आरम्भ किया जाएगा। राज्य में नई सड़कों का निर्माण सड़क सुरक्षा ऑडिटर की स्वीकृति के बाद ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने एवं ब्लैक स्पॉट्स की पहचान करने के लिए पुरानी प्रक्रिया के स्थान पर एक नई प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक व्यस्त सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तेज रफ्तार, लापरवाही एवं शराब के नशे में वाहन चलाना और वाहन चलाते समय मोबाइल के प्रयोग के विषयों पर लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को दोषी चालकों के विरूद्ध शिकायतें दर्ज करवाने के लिए उत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 93 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं मानव भूल के कारण होती हैं तथा इसके लिए ड्राईविंग टैस्ट को अधिक सख्त बनाया जाएगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि यात्रियों को चालक के सम्बन्ध में जानकारी देने तथा उन्हें चालक के प्रशिक्षित होने के सम्बन्ध में आश्वस्त करने के लिए सभी परिवहन वाहनों, जिनमें टैक्सियां शामिल हैं, पर चालक के नाम एवं फोटो को प्रदर्शित करना होगा।

उन्होंने कहा कि परिवहन वाहनों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा इसमें किसी भी कोताही को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाहनों की स्थिति के आकलन के लिए ऑटोमैटिक जांच के माध्यम से किया जाएगा तथा बेहतर स्थिति वाले वाहनों को ही सड़क पर चलने की अनुमति दी जाएगी। भारी वाहनों के चालकों को सही टैस्ट के आधार पर ही लाईसेंस दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशिक्षु ड्राईवर निश्चित समय के लिए प्रशिक्षण पाएं, इसके लिए ड्राईविंग स्कूलों में बायोमैट्रिक प्रणाली को अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में ऑटोमैटिक ड्राईविंग टैस्ट सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी परिवहन वाहन में ओवर लोडिंग न हो। उन्होंने कहा कि इसका उल्लंघन करने वालों के प्रति सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार की प्राथमिकता जो कि यात्रियों की सुरक्षा है, जिसके सम्बन्ध में स्कूल प्रशासन को जागरूक किया जाएगा।

कुल्लू और कांगड़ा हवाई अड्डों के विस्तार के लिए केन्द्र से 1000 करोड़ की मांग

शिमला/शैल। राज्यों के वित्त मंत्रियों एवं जीएसटी परिषद की नई दिल्ली में हुई बैठक में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने प्रदेश में सभी हवाई अड्डों के विस्तार के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाने का मामला केन्द्र सरकार के साथ उठाया। उन्होंने शिमला के हवाई अड्डे के लिए 426 करोड़ रुपये तथा प्रदेश के कुल्लू और कांगड़ा हवाई अड्डों के स्तरोन्यन एवं विस्तार के लिए 500-500 करोड़ रुपये की मांग की। उन्होंने कहा कि मण्डी जिले में निर्मित होने वाले नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के लिए 2500 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है। इस नए एयरपोर्ट का निर्माण पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्त्व रखता है।

पन बिजली परियोजनाओं में प्रयोग में लाए जाने वाली सामग्री एवं पुर्जों पर जीएसटी को पवन एवं सौर ऊर्जा परियोजनाओं के बराबर लाने का मामला उठाते हुए, उन्होंने कहा कि अब पन विद्युत परियोजनाओं को भी अक्षय ऊर्जा में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए विद्युत परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाली साम्रगी को भी जीएसटी का लाभ मिलना चाहिए।

उन्होंने प्रस्तावित भानुपल्ली-बिलासपुर-मनाली-लेह रेल लाईन निर्माण एवं पठानकोट-जोगिन्द्रनगर रेल लाईन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने तथा इन्हें शत-प्रतिशत सेंट्रल शेयरिंग में रखने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होने के कारण इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य में रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय बजट के तहत पर्याप्त धन उपलब्ध करवाने और हिमालयी राज्यों में रेल नेटवर्क के विस्तार को 'कोर' योजनाओं में शामिल करने तथा इसे राष्ट्रीय विकास एजेंडा का भाग बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि इनके निर्माण को 90:10 के अनुपात में विकसित किया जा सके।

सुरेश भारद्वाज ने स्थानीय सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सेब की आयात दरों को दोगुना बढ़ाने का अनुरोध किया क्योंकि राष्ट्रीय बाजार में विदेशी सेब के आने से हिमाचली सेब की मांग में कमी आने की संभावना बढ़ जाती है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढते ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए रोप-वे आवागमन के लिए अत्यन्त प्रभावशाली विकल्प है। उन्होंने अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-1 के अंतर्गत 283 गांवों को घने वृक्ष व पर्यावरण को नुकसान होने के कारण सड़क सुविधा प्रदान नहीं की जा सकी है। उन्होंने ऐसे 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को रोप-वे की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय से प्रदेश को पर्वतमाला योजना के अंतर्गत उदारतापूर्वक निधि उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया ताकि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए प्रदेश के दूरगामी क्षेत्रों तथा पर्यटन स्थलों को सुगमता से सम्पर्क सुविधाओं से जोड़ा जा सके।

नीति आयोग द्वारा निगरानी किए जा रहे चम्बा जिला की चर्चा करते हुए, शिक्षा मंत्री ने कहा भारत सरकार को पिछड़े जिलों के लिए सड़क, सिंचाई तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं के वित्तपोषण पर विचार करना चाहिए ताकि इन ज़िलों की बुनियादी विकास संबंधी आवश्यकताओं को तुरन्त पूरा किया जा सके।

बैठक में आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव जगदीश शर्मा भी मंत्री के साथ उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री द्वारा विद्यार्थियों की नैतिक शिक्षा पर बल

शिमला/शैल। विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा प्रदान करना वर्तमान समय की मांग है, जिसके लिए अध्यापक, शैक्षणिक संस्थान तथा समाज के सहयोग की आवश्यकता है ताकि भारतीय पुरातन शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित किया जा सके। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सरस्वती विद्या मंदिर, शिमला का विकासनगर में 5.20 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ठाकुर राम सिंह छात्रावास के उद्घाटन के अवसर पर अपने सम्बोधन में कही। इस भवन के निर्माण में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) द्वारा 2.34 करोड़ रुपये की राशि का योगदान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एक मजबूत तथा जीवंत समाज का निर्माण करना है, जिससे छात्रों में नैतिक मूल्यों का समावेश हो ताकि वे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बन सकें।

उन्होंने कहा कि विद्या भारती न केवल विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने में मदद कर रही है, बल्कि छात्रों के आर्थिक तथा वैज्ञानिक विकास के साथ उन्हें पुरातन सांस्कृतिक धरोहर के साथ भी जोड़ती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही राष्ट्र को 21वीं सदी में विकास के पथ पर सफलतापूर्वक आगे ले जाने का सशक्त माधयम है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 1993 में विद्या भारती की स्थापना होने के उपरांत यह स्कूल शिमला शहर के श्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान के रूप में उभरा है, जिसमे 1140 छात्र गुणात्मक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के प्रयास में यह संस्थान अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षा बजट में 7598 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है। वर्तमान वित्त वर्ष के अन्तर्गत प्रदेश में अटल आदर्श विद्या केन्द्र योजना के अन्तर्गत 15 नए अटल आदर्श विद्या केन्द्र खोले जाएंगे, जिसमें गुणात्मक शिक्षा के साथ छात्रों को रहने और खाने की सुविधा प्राप्त होगी।

हि.प्र. शिक्षा समिति के महासचिव दिले राम चौहान ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। नगर निगम शिमला की महापौर कुसुम सदरेट, हि.प्र. स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुरेश सोनी, उच्च शिक्षा के निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा, विद्या भारती के उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद, राष्ट्रीय सचिव शिव कुमार, सरस्वती विद्या मंदिर के मुख्याध्यापक लेख राज तथा शिक्षक अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

बोर्ड ऑफ आरबिट्रेशन गठित कर सुलझाये कर्मचारी मामले:विनोद कुमार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ का एक पांच सदस्यी प्रतिनिधि-मण्डल महासंघ के संयोजक विनोद कुमार की अध्यक्षता में ''प्रशासनिक ट्रिब्यूनल'' के मसले पर सचिवालय में मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर से मिला। इस प्रतिनिधि-मण्डल में शिमला महासंघ इकाई के अध्यक्ष रविन्द्र मैहता, महासचिव गोविन्द ब्रागटा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरी सिंह ठाकुर, अतिरिक्त जिला महासचिव एल.डी.चौहान एवं वित्त सचिव नवल किशोर शामिल रहें।

महासंघ ने मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर को हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल पर ''ज्ञापन सौंप'' कर मांग की है कि प्रदेश के कर्मचारी वर्ग की सेवाओं के मामलों की सुनवाई की व्यवस्था उच्च न्यायालय में कर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल से यह अधिकार वापिस ले लिया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने 2013 में कर्मचारियों की मूलभूत और ज्वलंत समस्याओं को दर किनार कर ट्रिब्यूनल को जबरन खोलने का फैसला लिया जिसका कर्मचारी संगठनों ने उस समय कड़ा विरोध करते हुए यह मामला हिमाचल सरकार और भारत सरकार के समक्ष उठाया जिसका उतर वीरभद्र सरकार ने यह दिया कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनीफैस्टो है, जिसे सरकार ने सरकारी दस्तावेज माना है। जबकि कांग्रेस पार्टी के मैनीफैस्टों में धर्मशाला और मण्डी में भी स्थाई बेंच स्थापित करना शामिल था जिससे बाद में कांग्रेस सरकार मुकर गई। ज्ञापन में यह मांग भी शामिल की गई है कि प्रशासनिक संवेदनहीनता के चलते कर्मचारी अपनी छोटी-छोटी बातों को लेकर याचिकायें दायर कर रहे होते हैं जिनका निपटारा जे.सी.एम. या ''बोर्ड ऑफ आरबिट्रेशन'' गठित कर सुलझाये जाने की व्यवस्था की मांग रखी गई।

''ज्ञापन'' में महासंघ ने मुख्यमन्त्री के समक्ष यह मांग भी रखी गई कि यदि आवश्यक हो तो हिमाचल की भौगोलिक कठिनाईयों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर धर्मशाला में उच्च न्यायालय की एक स्थाई खण्ड पीठ स्थापित की जा सकती है, जिसका लाभ कर्मचारी वर्ग और आम जनता दोनों को होगा। मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर महासंघ के ज्ञापन पर सहमती जताई और उन्होंने इस विषय पर कर्मचारियों की मांग और उनकी भावनाओं के अनुरूप फैसला लेने का आश्वासन दिया। मन्त्रीमण्डल की बैठक में अनेक वर्गो के मानदेय बढ़ौतरी पर लिए फैसलें पर भी महासंघ ने मुख्यमन्त्री की सराहना की।

ऑनलाइन मोबाईल फर्टिलाईजर प्रणाली से की जा रही खादों के वितरण की निगरानी:मुख्य सचिव

शिमला/शैल। मुख्य सचिव बी. के. अग्रवाल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रभावी ढंग से लागू की जा रही है, जिसके अन्तर्गत स्प्रिंकलर व ड्रिप प्रणाली को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध किया कि ऐसे घुलनशील उर्वरक विकसित किए जाएं, जिससे प्रदेश के किसान लाभान्वित होकर कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सके।

वह प्रदेश में किसानों को खादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार द्वारा लागू की गई प्रत्यक्ष लाभ योजना (डीबीटी इन फर्टिलाईजर) की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्य सचिव ने कहा कि खादों के वितरण की निगरानी ऑनलाइन मोबाईल फर्टिलाईजर प्रणाली के माध्यम से की जा रही है। यह योजना उर्वरक मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा 1 फरवरी, 2018 से आरम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत 2129 खाद विक्रेता पंजीकृत है, जिसमें से 1751 विक्रेता ऑनलाईन विक्रय कर रहे हैं तथा बाकी विक्रेताओं को भी जल्दी ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाकर इस योजना के अन्तर्गत जोड़ दिया जायेगा।

प्रधान सचिव (कृषि) ओंकार चन्द शर्मा ने बताया कि प्रदेश में खरीफ, 2019 के लिए खादों की 48,250 मीट्रिक टन मांग आंकी गई है। जून 2019 तक 22,000 मीट्रिक टन मांग की अपेक्षा 33,500 मीट्रिक टन खादों की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है। यूरिया खाद की उपलब्धता भी पूर्ण रूप से सुनिश्चित की गई है।

बैठक में कृषि विभाग के निदेशक द्वारा पी.ओ.एस. मशीनों में 3.0 वर्जन लागू होने से विक्रेताओं को पी.ओ.एस. अपडेट करने में हो रही कठिनाइयों तथा खाद स्पलायरज द्वारा परिवहन उपदान पूर्ण रूप से वहन न करने के बारे में अवगत करवाया।

सचिव उर्वरक, भारत सरकार द्वारा मामला उर्वरक मन्त्रालय को भेजने बारे कहा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्यान विभाग ने भारत सरकार से आग्रह किया कि बागवानों की आवश्यकता अनुसार उर्वरक ग्रेड उपलब्ध करवायें जायें, जिसके लिए सचिव भारत सरकार ने प्रदेश सरकार को इस बारे प्रस्ताव भेजने को कहा।

इस बैठक में भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय के सचिव छविलेन्द्र राउल, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सहकारिता) निशा सिंह और उद्योग और कृषि विभाग एवं हिमफैड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या विद्युत परियोजनाएं प्रदेश की आर्थिक सेहत के लिये खतरा होने जा रही हैं

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जर्मनी, नीदरलैण्ड के बाद दुबई गये हैं। मुख्यमन्त्री इन यात्राओं के माध्यम से विदेशों से प्रदेश में पूंजी निवेश लाने का प्रयास कर रहे हैं। इन विदेश यात्राओं के साथ ही देश के विभिन्न भागों में भी निवेशकों को आमन्त्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमन्त्री के यह प्रयास कितने सफल होते हैं प्रदेश में कितना निवेश आता है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। निवेश लाने के ऐसे ही प्रयास पूर्व मुख्यमन्त्रीयों के कार्यकाल में भी हुए हैं। लेकिन इन प्रयासों से प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार आने की बजाये कर्ज का चक्रव्यूह ही ज्यादा बढ़ता गया है। आज प्रदेश 52000 करोड़ के बड़े कर्जभार के नीचे है। इस कर्ज का निवेश कब कहां और कैसे किया गया इससे प्रदेश की आय में कितनी बढ़ौत्तरी सुनिश्चित हुई है इसका कभी भी किसी भी मुख्यमन्त्री ने विधानसभा के अन्दर या बाहर कभी कोई खुलासा नही रखा है। जयराम ठाकुर ने भी अपने पहले बजट भाषण में यह आंकड़ा तो रखा कि वीरभद्र सिंह ने पांच वर्षो में 18,787 करोड़ का कर्ज लिया लेकिन यह नही बताया कि यह कर्ज कहां खर्च हुआ। इस इतने भारी भरकम कर्ज से राजस्व के लिये स्थायी अदारे क्या खड़े किये गये यह कोई जानकारी प्रदेश की जनता के पास नही है। शायद प्रदेश की अफसरशाही नही चाहती है कि यह सच्च कभी सामने आये। मुख्यमन्त्री जयराम ने अपने पहले बजट भाषण में प्रदेश की वित्तिय स्थिति को लेकर जो गंभीर टिप्पणी की हुई है यदि उसी की गहराई से जांच की होती तो शायद स्थिति में कुछ बदलाव आ जाता। प्रदेश में उद्योगों की सहायता के लिये जो निगम/बोर्ड स्थापित किये गये हैं निवेश लाने के प्रयास करने से पहले उन अदारों की हकीकत का आकलन करके कुछ सख्त कदम उठाये जाने चाहिये थे लेकिन ऐसा नही हुआ है।

किसी भी उद्योग की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि उसके लिये वहीं पर कच्चा माल उपलब्ध है तैयार माल की खपत के लिये कितना उपभोक्ता उपलब्ध है और उसकी क्रय शक्ति कितनी है। इन बुनियादी संसाधनों के बाद श्रम, पूंजी और ऊर्जा की उपलब्धता उद्योग के लिये दूसरा बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन शायद प्रदेश में इन महत्वपूर्ण पक्षों का आज तक कोई विस्तृत अध्ययन ही नही किया गया हैं केवल भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये भू-राजस्व अधिनियम की धारा 118 के नियमों में संशोधन करने तथा उद्योगों को विभिन्न करो में रियायतें/छूट देने के अतिरिक्त और कुछ सोचा ही नही गया है। इसलिये प्रदेश के कर और गैर कर राजस्व में कोई बड़ी बढ़ौत्तरी नही हो पायी है। हिमाचल में 21000 मैगावाट की जल विद्युत उत्पादन की क्षमता चिन्हित करने के बाद प्रदेश को विद्युत राज्य के रूप में प्रचारित और प्रसारित करके उद्योगों को यहां आने के लिये आकर्षित एवं आमन्त्रित किया गया। विद्युत के क्षेत्र में ही 500 से अधिक छोटी बड़ी परियोजनाएं चिन्हित की गयी है। अकेले ऊर्जा क्षेत्र में कैग के मुताबिक सारे सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश का 85% हिस्सा इसमें निवेशित किया गया है। बहुत सारी परियोजनाएं प्रदेश में उत्पादन दे रही है। लेकिन बजट दस्तावेजों के मुताबिक विद्युत उत्पादन से मिलने वाला राजस्व लगातार कम होता जा रहा है। यह राजस्व कम होने का अर्थ है कि ऊर्चा क्षेत्र को लेकर सरकार की नीति और आकलन दोनों में भारी कमी है।

नीति और आकलन की इस कमी के सबसे बड़े उदाहरण प्रदेश उच्च न्यायालय की कुछ टिप्पणीयां है। उच्च न्यायालय ने जे पी ऐसोसियेटस द्वारा बघेरी में थर्मल प्लांट स्थापित करने को लेकर दो जनहित याचिकायें CWP of 2009 तथा CWP 586 of 2010 आयी थी। जेपी के खिलाफ उच्च न्यायालय की ग्रीन पीठ ने 100 करोड़ का जुर्माना लगाया था। इसमें संबद्ध अधिकारियों की भूमिका को जांचने और उनके खिलाफ कारवाई करने के लिये एडीजीपी पुलिस के सी सडयाल की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया था। इस एसआईटी की रिपोर्ट अदालत में आ चुकी है लेकिन यह रिपोर्ट क्या है और इस पर क्या कारवाई हुई यह कभी सामने नही आया है। जबकि उसी दौरान जब यह प्रकरण मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह के सामने आया तब उन्होंने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए फाईल पर यह दर्ज किया कि "1. It is a serious matter. Particularly NOC for thermal Power which is on negative list and against power policy of the State.

2. This officer may be suspended with immediate effect and charge-sheeted.

3.File also shows that the Electricity Board was also involved in issuing NOC for Thermal Power stations, the Board very well knew that Thermal Power is against the Power Policy and also it had no powers to decide allocation of thermal Power stations J.P. Associates (25 MW) for plant at Bagheri; Mahabir Spinning Ltd. (8.5 MW); M/s.Deepak Spinners Baddi (5 MW); and Tanu Alloys Una 6 MW. All officers for this may be identified within one week and case put up.

4. All the permissions and NOC's granted for setting up of Thermal Power Stations for above Companies and any other may be withdrawn forthwith. लेकिन इस पर आगे चलकर व्यवहारिक रूप से क्या कारवाई हुई कोई नही जानता।

इसी तर्ज पर इन जलविद्युत परियोनाओं को लेकर डीजीपी आई वी नेगी ने एक पत्र राज्यपाल को लिखा था। उन्होंने इन परियोजनाओं के निर्माताओं द्वारा पर्यावरण नियमों के साथ खिलवाड़ करने को लेकर गंभीर चिन्ता व्यक्त की थी। यह प्रसंग भी प्रदेश उच्च न्यायालय में पहुंचा था और अदालत ने इसके लिये अतिरिक्त मुख्य सचिव वन अभय शुक्ला की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। क्योंकि उस समय उच्च न्यायालय के सामने यह तथ्य आ गया था कि चम्बा से भरमौर तक रावी नदी पर बन रही चार परियोजनाओं में यह नदी अपने मूल बहाव से 65 किलो मीटर तक लोप हो जायेगी। चम्बा से भरमौर की कुल दूरी ही 70 किलोमीटर है और इसमें यह नदी केवल पांच किलोमीटर ही मूल बहाव में रहेगी। इस संबंध में शुक्ला कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि This Committee is strongly of the view that the govt's present practice of indiscriminately allotting hydel projects all over the state without any consideration to their impact on the larger environment-which mere EIAs and EMPs can not address- is short-sighted, unplanned and could result in serious depletion of the state's natural resources in the long run. This is not, however, an issue of altitude alone as vulnerable areas in dire need of protection exist at even lower altitudes. Protection has to be provided, for example, to dense forests (which, according to successive reports of the Forest Survey of India itself, have been declining in HP year after year), protected wild-life areas, critical catchments of river systems, critical wild-life habitats outside Protected Areas, permanent glaciers, alpine pastures and so on by declaring them as eco-sensitive zones under the Environment Protection Act. Only this would ensure that these vulnerable but vital natural buffers remain inviolate. Currently no area in the state- not even National Parks and Sanctuaries- are exempt from hydel exploitation, but this has to change, and change fast given the speed at which the hydel tentacles are crawling up the valleys and side valleys of the state. This requires the setting up of an interdisciplinary body of experts which the MOEF- which accords the final clearances-should also be associated. However, pending that, there are some recommendations which this Committee would like to make which need to be adopted.

अभय शुक्ला और के सी सडयाल कमेटीयों की रिपोर्टे उच्च न्यायालय और सरकार दोनो के पास मौजूद हैं। लेकिन इन रिपोर्टो पर आज तक कहीं से कोई कारवाई सामने नही आयी है। आज आलम यह है कि बोर्ड के स्वामित्व में चलने वाली परियोजनाओं में हजारों घन्टो का शट डाऊन प्रतिवर्ष हो रहा है और इससे सरकार को प्रतिदिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है। विजिलैन्स भी इस संद्धर्भ में आयी शिकायतों पर चुप्पी साधे बैठा है क्योंकि जांच से शीर्ष प्रशासन की करनी/कथनी सामने आयेगी। इस परिदृश्य में यह स्पष्ट है कि जबतक प्रशासन में फैली इस अराजकता पर कारवाई नही की जाती है तब तक मुख्यमन्त्री के प्रयासों से कोई लाभ नही मिलेगा।

मुख्यमन्त्री के प्रयासों पर यह प्रश्नचिन्ह इसलिये लग रहे हैं क्योंकि हर उद्योग के लिये बिजली एक मूल आवश्यकता है। लेकिन हिमाचल जहां विद्युत राज्य है वहीं पर इसकी विद्युत परियोजनाओं का अपना अस्तित्व सवालों में आ खड़ा हुआ है। क्योंकि 67 परियोजनाएं गंभीर भूस्खलन के खतरे में हैं जबकि दस मैगा पावर परियोजनाएं मध्यम और उच्च भूस्खलन जोन में हैं। पिछले पांच वर्षो में इन परियोजनाओं में इस संद्धर्भ में कहां क्या घटा है वह पाठकों के सामने रखा जा रहा है ताकि आम आदमी इन खतरों के प्रति अपने तौर पर सजग हो जाये। क्योंकि प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व की नजर में यह कोई गंभीरता नही है।

List of incidences of hazards/accidents reported in Hydropower Projects since 2012 in HP

S.No	Date	Location	Project	Event
1	17 April 2012	Mokhar village, Chamba	231 MW Chamera III HEP	Massive leakage in the 16km HRT of the Chamera III project just above the Mokhar village leading to severe threat to the village downhill so much so that the 40 families residing there had to be evacuated. The leakage occurred during testing of the generating units.
2	December 2013	Power house site Wangtoo Kinnaur	1200 MW Karcham Wangtoo HEP	During an inspection of the 1200 MW Karchham Wangtoo project by the officials of the Central Water Commission, Department of Energy and Central Electricity Authority profuse leakages were found in the surge shaft of the 17 km long tunnel possibly due to cracks and fissures that may have developed over the course of time.
3	29 December 2013	Village Dhalanjan, Chamba	36 MW Chanju HEP	In the aftermath of construction work of the 36-MW Chanju Hydroelectric Project three villages Dhalanjan, Kuha and Makalawani, which belongs to Scheduled Caste families, will be ruined as visible big cracks have developed on the walls and floors of 51 houses.
4	12 January 2014	Betwwen Aleo and Prini , Kullu	4.8 MW Aleo HEP	Reservoir of the newly built Aleo II hydro project on the Aleo nallah, a tributary of the Beas river, collapsed during its very first trial run on January 12 2014. Quite shockingly, neither the local authorities nor the villagers were intimated by the project authorities about its testing.
5	8 June 2014	Thalout area (Shalanala Village), Mandi	126 MW Larji HEP	25 people were washed away in a flash flood caused by the sudden opening of the flood gates at the Larji hydel project dam, 2.7 kms upstream of accident site at Thalout on the Beas river.
6	10 June 2014	Urni Village, Kinnaur	1200 MW Karcham Wangtoo HEP	In July 2014 the Urni*dhank* collapsed blocking the national highway which continues to be blocked. Urni is sitting precariously above the junction of the flushing tunnel, Head Race Tunnel and Adit tunnelof the newly operational 1200 MW Karchham Wangtoo project.
7	14 June 2015	Kaza,Lahaul -Spiti	2 MW Rongtong HEP	Three engineers were killed at the Himachal Pradesh State Electricity Board (HPSEB) run Rongtong power project (2MW) in Spiti valley of Lahaul-Spiti district when main inlet valve at the plant burst.
8	18 November 2015	Burang Village,Kinnaur	100 MW Sorang HEP	Penstock pipe burst of the 100 MW Sorang Hydro-electric project led to the death of three people.
9	22 November 2015	Chagaoun Village,Kinnaur	1200 MW Karcham Wangtoo HEP	A massive landslide occurred in Chagaon Village, located on the alignment of the Karchham Wangtoo project's tunnel. While houses and property was damaged .
10	29 November 2015	Power house site, Shongthong, Kinnaur	450 MW Shongthong Karchham HEP	Two laborers died in blasting operations and some others were seriously injured.
11	17 April, 2017	Sainj Valley, Kullu	Parbati II Project 800 MW	Due to continuous leakage in the tunnel of the project, landslide and displacement of people occurred. Huge cracks spread over 200 m appeared in the hills, leading to landslide & fall of soil and rocks, immediately threatening eight families of Rahan (Reina) village, though over 400 families of some 12 villages of Rella Panchayat are facing the prospects of disaster as cracks in the hill have appeared just above the villages.
12	18 June 2018	Kinnaur	Sorang HPP	A massive landslide occurred in Sorang HPP, leading to two working staff being buried under the landslide.
13	25 July 2018	Pangi Village, Kinnaur	Kashang Hydro Power Project (Stage I)	Water was released from flushing tunnel without warning from the project, submerging trees of deodar and near-threatened Chilgoza, simultaneously impacting vegetation and land, which together amounted for a colossal damage of Rs 17, 83, 68, 336, as assessed by the Divisional Forest Officer
14	August 2018	Powari Village, Kinnaur	Shongtong Karcham	a landslide was caused by a sudden increase flow of Satluj River since after being dischar from the diversion tunnel of the project, the fl of the river was being directed towards the vill market, damaging shops in the market
15	14th April, 2019,	Sainj Valley, Kullu	Parbati Stage-III	Reported leakage in tunnel endangering the lives of residents of Bihali and Sampagani villages.

सीबीसी के राडार पर

.....पृष्ठ 1 का शेष

खिलाफ मुकद्दमा चलाने की अनुमति नहीं आती है तो पूरा प्रकरण असफल हो जाता है।

इस परिदृश्य में जब प्रबोध सक्सेना का मामला हिमाचल सरकार के पास अनुमति के लिये आ गया तब इसमें सवाल उठने शुरू हो गये हैं। सक्सेना इस समय प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी हैं और अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अनिल खाची के छुट्टी पर जाने के बाद वित्त विभाग का कार्यभार भी उन्ही को दिया गया है। कायदे से यह मामला प्रदेश सरकार को केन्द्र को लौटा देना चाहिये था क्योंकि इसका प्रदेश सरकार के साथ कोई संबंध ही नही रहा है। लेकिन प्रदेश सरकार ने मामला लौटाने की बजाये इसमें अपनी टिप्पणीयां की हैं। सक्सेना के खिलाफ प्रदेश में कुछ नही है। वीरभद्र सरकार में भी वह महत्वपूर्ण अधिकारी रहे हैं। चिदम्बरम, वीरभद्र के वकील भी रहे हैं और सक्सेना के ससुर भी मोती लाल बोहरा का पर्सनल डाक्टर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि को सामने रखते हुए सक्सेना का कांग्रेस नेतृत्व के प्रति झुकाव होना स्वभाविक है और बदले में कांग्रेस का भी परोक्ष/अपरोक्ष में उनकी सहायता करना बनता है। इसी कारण से यह माना जा रहा है कि केन्द्र से अनुमति का पत्र प्रदेश को भिजवाना और प्रदेश का उस पर टिप्पणी करना एक सुनिश्चित योजना के तहत हुआ है। हो सकता है कि इसी प्रक्रिया में तीन माह का समय निकल जाये और स्वत: ही यह सबकुछ खत्म हो जाये संभवत: इसी आश्य से उन्हें वित्त का कार्यभार सौंपा गया है।